वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT

2020

राज्य विधि विज्ञान निदेशालय

गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर

फोरेंसिक ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च
इंस्टीट्यूट, जयपुर

डी.एन.ए.भवन, जयपुर

लक्ष्य

अत्याधुनिक तीव्रतर वैज्ञानिक तकनीकों से अपराध के अकाट्य साक्ष्य उपलब्ध करवाकर आपराधिक न्याय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना।

भावी दृष्टि

अपराधी के तेजी से बढ़ते हुए संसाधन, कौशल, चातुर्य एवं निपुणता को दृष्टिगत रखते हुए अत्याधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों से विधि विज्ञान प्रयोगशाला का निरन्तर तकनीकी सुदृढ़ीकरण किया जाना, जिससे अपराधी की शीघ्रातिशीघ्र पहचान सुनिश्चित की जा सके। भौतिक साक्ष्य के फोरेंसिक महत्त्व से पुलिस, अभियोजन व न्यायपालिका को अभिज्ञानित कराना ताकि अपराध उन्मूलन में प्रभावी योगदान देते हुए अपराध सिद्धि की दर में वृद्धि हो सके।

अनुक्रमणिका

क.सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	सार संक्षेपः वैधानिक स्थिति, कार्य प्रणाली एवं प्रशासनिक परिदृश्य	2—3
2.	प्रकरणों का निष्पादन	3
3	तकनीकी सुदृढ़ीकरण, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास	3—9
4.	राज्य विधि विज्ञान निदेशालयः अपराध अनुसंधान में महत्त्वपूर्ण भूमिका	10
5.	ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः चरणबद्ध विकास	12
6.	संगठनात्मक चार्ट	13
7.	संगठनात्मक स्वरूप	14
8.	नियमित बजट एवं आधुनिकीकरण योजना अन्तर्गत राशि	15
9.	प्रकरण सांख्यिकी	16—18
10.	महत्त्वपूर्ण प्रकरण	19—25
11.	घटना स्थल निरीक्षण : कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकरण	26—32
12.	राज्य विधि विज्ञान निदेशालय की विभिन्न प्रयोगशालाओं के महत्त्वपूर्ण सम्पर्क	33
13.	वर्ष 2020 में क्रय उपकरणों की सूची	34
14.	विशेष पहल एवं वर्ष 2020 की प्रमुख उपलब्धियाँ	35
15.	भविष्य की योजना	36

सार संक्षेप : राज्य विधि विज्ञान निदेशालय
वैधानिक स्थिति, कार्यप्रणाली एवं प्रशासनिक परिदृश्य

वैधानिक स्थिति

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 45: न्यायालय को तकनीकी प्रश्नों पर तथ्यात्मक निष्कर्ष एवं विवरण प्रस्तुत करने हेतु विशेषज्ञ राय विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है।

राजकीय फोरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत परीक्षण रिपोर्ट दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 293 के अन्तर्गत बिना व्यक्तिगत उपस्थिति के न्यायालय की कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में मान्य है। धारा 293 (4) में किसी केन्द्रीय अथवा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक, उपनिदेशक एवं सहायक निदेशक को राजकीय वैज्ञानिक विशेषज्ञ के रूप में परिभाषित किया गया है।

फोरेंसिक विशेषज्ञः एफ.एस.एल. में विज्ञान की विभिन्न विधाओं में विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव धारित व्यक्ति ही विशेषज्ञ हैं। विशिष्ट योग्यताधारित अपराध की विशेषज्ञ भौतिक साक्ष्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर फोरेंसिक रिपोर्ट देते हैं जो संबंधित जांच एजेन्सी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है।

कार्यप्रणाली

पारदर्शिता व गुणवत्ता बनाये रखने के लिये घटनास्थल व प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों द्वारा एक 'टीम वर्क' के रूप में निम्न कार्य सम्पादित किये जाते हैं:—

1. अपराध की वैज्ञानिक साक्ष्यों की पहचान हेतु घटनास्थल का निरीक्षण।
2. जाँच अधिकारी को भौतिक साक्ष्य के वैज्ञानिक महत्व व इससे प्राप्त होने वाली साक्ष्य बाबत् जागरूक करना।
3. घटनास्थल, संदिग्ध/आरोपी एवं पीड़ित से प्राप्त अपराध प्रादर्शों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर परीक्षण रिपोर्ट प्रदान करना।
4. वैज्ञानिक साक्ष्यों को श्रृंखलाबद्ध कर अपराध कारित करने की विधि व उद्देश्य का खुलासा करने में योगदान।
5. विभिन्न न्यायालयों में साक्ष्य प्रस्तुतीकरण।

इसके अतिरिक्त प्रयोगशाला के विशेषज्ञों द्वारा पुलिस तथा न्यायिक अधिकारियों को अपराध अनुसंधान सम्बंधी प्रशिक्षण/ व्याख्यान दिये जाते हैं जिससे प्रयोगशाला द्वारा अपराध अनुसंधान में दी जा रही सहायता की महत्वपूर्ण जानकारी दी जा सकें ।

प्रयोगशाला में प्रादर्शों का परीक्षण एवं विश्लेषण कार्य विभिन्न विषयों से सम्बंधित अनुभागों में उनके लिए ''डायरेक्ट्रेट ऑफ फोरेंसिक साईन्स सर्विसेज, गृह मंत्रालय, भारत सरकार '' द्वारा निर्धारित मेनुअल्स के अनुसार पूर्ण गोपनीयता एवं निष्पक्षता के साथ किया जाता है। प्रत्येक अनुभाग स्तर पर प्रशासनिक एवं वैज्ञानिक कार्यों का पर्यवेक्षण सहायक निदेशक/उपनिदेशक द्वारा किया जाता है। सहायक निदेशक, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक/ कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, प्रयोगशाला सहायक एवं अन्य सहायक स्टाफ को मिलाकर एक वर्किंग यूनिट का गठन किया जाता है।

एफ.एस.एल. में प्रकरणों के परीक्षण का कार्य सामान्यतः ''फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व'' आधार पर किया जाता है। विशेष परिस्थितियों जैसे न्यायालय में केस की सुनवाई निर्णय की स्टेज पर होने, आरोपी के न्यायिक अभिरक्षा में होने या जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में लम्बित होने, न्यायालय अथवा अनुसंधान की कार्यवाही बिना एफ.एस.एल. रिपोर्ट के आगे नहीं बढ़ पाने अथवा प्रकरण के सामाजिक तौर पर अतिसंवेदनशील होने के कारण कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका के मामलों इत्यादि में प्राथमिकता पर भी परीक्षण किया जाता है। अति—संवेदनशील मामलों में प्राथमिकता पर परीक्षण की व्यवस्था भी रखी गई है। वैज्ञानिक जांच में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए विशेषज्ञों द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि प्रकरण की रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र दी जा सके।

प्रशासनिक परिदृश्य

जयपुर मुख्यालय पर उच्च तकनीकी व आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित राजस्थान की मल्टीडिस्प्लीनरी प्रयोगशाला एवं समस्त संभागों पर स्थित क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण निदेशक द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2006 से प्रयोगशाला राज्य सरकार के गृह विभाग के नियंत्रणाधीन कार्य कर रही है एवं वर्ष 2010 में निदेशक को विभागाध्यक्ष के रूप में अधिसूचित किया जा चुका है। क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के सामान्य प्रशासनिक कार्य अतिरिक्त निदेशक/उपनिदेशक स्तरीय अधिकारियों द्वारा सम्पादित किये जाते है।

वर्तमान में जयपुर मुख्यालय पर निदेशालय राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला एवं अन्य सभी संभागीय मुख्यालयों –जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर व भरतपुर पर क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालायें तथा राज्य के समस्त जिला मुख्यालयों पर 34 जिला मोबाईल फोरेंसिक यूनिट्स कार्य कर रही हैं। जयपुर स्थित शीर्षस्तरीय मुख्य प्रयोगशाला में विधि विज्ञान के 13 विषयों में, क्षेत्रीय स्तर की प्रयोगशालायें उदयपुर, जोधपुर व बीकानेर में 5, कोटा व भरतपुर में 4 व अजमेर में 3 खण्डों में परीक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था है।

वैज्ञानिक एवं तकनीकी संवर्ग के कुल 421 पद स्वीकृत है, मंत्रालयिक एवं लेखा संवर्ग के 41, वाहन चालक एवं सहायक संवर्ग के 54 पद स्वीकृत है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी संवर्ग के वर्तमान में 192 पद रिक्त हैं जिन को भरे जाने की प्रक्रिया प्राथमिकता पर जारी है।

प्रकरणों का निष्पादन

राज्य विधि विज्ञान निदेशालय जयपुर एवं क्षेत्रीय स्तर की जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर एवं भरतपुर की क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं द्वारा वर्ष 2020 में 38,080 अपराध प्रकरणों के 1,83,592 प्रादर्शों का विभिन्न वैज्ञानिक विधियों से परीक्षण किया गया एवं फोरेंसिक रिपोर्ट्स उपलब्ध कराई गई। वर्ष भर ऐसे प्रकरणों की संख्या अधिक रही जिनमें अपराध के तरीके सामान्य से जटिल थे और सामाजिक तौर पर अधिक संवेदनशील थे। प्रकरणों के परीक्षण के आंकड़े परिशिष्ठ में खण्डानुसार दर्शाये गये हैं।

फोरेंसिक रिपोर्ट्स से जहां एक ओर अपराध अन्वेषण को दिशा देने में सहयोग प्रदान किया गया वहीं दूसरी ओर न्यायालयों में अभियुक्तों के विरूद्व अपराध साबित करने में महत्त्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध कराये गये हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में न्यायालयों द्वारा एफ.एस.एल. की 'एक्सपर्ट रिपोर्ट' को भरोसेमंद मानकर महत्त्व देते हुए अपराधियों को सजा सुनाई हैं।

एफ.एस.एल. वैज्ञानिकों द्वारा वर्ष 2020 में कुल 1556 अपराध घटनास्थलों को निरीक्षण किया गया।

तकनीकी सुदृढ़ीकरण

राजस्थान के सभी जिलों के दूरस्थ क्षेत्रों में अपराध अनुसंधान में जाँच एजेन्सी को अपराध से सम्बंधित पुख्ता साक्ष्य उपलब्ध करवाने के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला का तीन चरणों में निम्नानुसार विकास हुआ है :–

प्रथम चरणः–

मुख्य प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण किया गया है तथा नवीनतम तकनीक का निरन्तर समावेश किये जाने की प्रक्रिया जारी है।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला ने उन्नत वैज्ञानिक सुविधाओं को विकसित किए जाने के फलस्वरूप न केवल तकनीकी श्रेष्ठता अर्जित की है अपितु अपने द्वारा जारी श्रेष्ठ एवं गुणवत्तायुक्त परीक्षण रिपोर्ट के कारण भारत की उच्च कोटि की अग्रणी प्रयोगशालाओं में अपना स्थान बना लिया है। वर्तमान में प्रयोगशाला आतंककारी, हिंसक, तस्करी, आर्थिक अपराध, घूसखोरी, भूमाफिया, जालसाजी, मादक, विस्फोटक, वन्यजीव अपराध, साइबर अपराध, जाली मुद्रा एवं अन्य संगठित

अपराधों के प्रादर्शो की जाँच में सक्षम है। प्रयोगशाला में सामान्य अपराधों की जाँच, भौतिक साक्ष्य एवं अन्य विवरण निम्न प्रकार है–

जैविक खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृतिः–** बलात्कार, दुष्कर्म, हत्या, आत्महत्या, आग से जलने, डूबना, मृत्योपरान्त समयान्तराल, अपहरण, चोरी–डकैती के धारा 302, 307, 376, 377, 363, 366, 498ए, 304बी आईपीसी, 174, 176 सीआरपीसी से सम्बन्धित व एनडीपीएस एक्ट, आबकारी एक्ट, वन्य जीव संरक्षण एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, राज. गोवंश संरक्षण एक्ट आदि से सम्बन्धित अपराध आदि।

रिसर्च माइक्रोस्कोप पर दुष्कर्म के प्रकरणों का परीक्षण

(2) **भौतिक साक्ष्य :–** वीर्य के धब्बे युक्त कपड़े, वेजाइनल व यूरेथ्रल स्वाब–स्मीयर, बाल, सिगरेट, बीड़ी, गुटका आदि पर लार, अस्थियाँ, दाँत, कपाल, नाखून, त्वचा, उल्टी, माहवारी रक्त, गर्भपात के समय का रक्तस्राव, भ्रूण, विसरा में डायटम, नारकोटिक पौधे जैसे भाँग–गाँजा, डोडा पोस्त आदि, नकली सिगरेट, बीड़ी, गुटका के तम्बाकू, नकली चाय, कीटों, वानस्पतिक पदार्थ जैसे पत्तियां, रेशे, लकड़ी, बीज, परागकण आदि, पक्षियों के अंग, जन्तुओं के मांस, बाल, हड्डियां, खुर, सींग, चमड़ा, हाथी दाँत आदि।

(3) **उपकरणः–** हाईरिजोल्यूशन कम्प्यूटराइज्ड रिसर्च माइक्रोस्कोप, सुपर इम्पोजीशन डिवाइस, हाईरिजोल्यूशन कम्प्यूटराइज्ड स्टिीरियो जूम माइक्रोस्कोप, कम्पेरिजन माइक्रोस्कोप, सेन्ट्रीफ्यूज मशीन, माईक्रोटोम, ऑवेन, इन्क्यूबेटर, डीप फ्रीजर आदि।

नवस्थापित अत्याधुनिक आयातित फोरेन्सिक–बायो कम्पेरिजन माइक्रोस्कोप की उपयोगिता एवं विशेषता के बारे में निदेशक, एफ.एस.एल. को अवगत कराते हुये।

सीरम खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृतिः–** रक्त से सम्बन्धित हिंसक अपराध, हत्या, प्रहार, दुष्कर्म, नवजात शिशु की अदला–बदली, संदिग्ध पैतृकता, वन्य जीव संरक्षण एक्ट, राजस्थान गोवंशीय संरक्षण एक्ट आदि की धारा 302, 307,323, 376, 377, 201 आईपीसी से सम्बन्धित अपराध इत्यादि।

(2) **भौतिक साक्ष्यः–** शारीरिक द्रव जैसे रक्त, वीर्य, लार आदि लगे कपड़े, टीश्यू, अस्थियाँ, दाँत, बाल, सिगरेट–बीड़ी, गुटका पर उपस्थित लार, त्वचा, नाखून कतरन में उपस्थित रक्त व टीश्यू, मिट्टी एवं विभिन्न प्रकार के हथियार आदि।

(3) **उपकरण :–** माइक्रोस्कोप, ऑवेन, सेन्ट्रीफ्यूज मशीन, रेफ्रिजरेटर आदि।

रिसर्च माइक्रोस्कोप पर रक्त समूह की जाँच करते वैज्ञानिक

डी.एन.ए. फिंगरप्रिंटिग खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृतिः**—हत्या, दुष्कर्म, सामूहिक बलात्कार, नवजात शिशु की अदला—बदली, संदिग्ध पैतृकता, व्यक्ति की सुनिश्चित पहचान, गुमशुदगी, बम विध्वंश, आतंकी एवं आपदा विध्वंशात्मक घटना, मानव तस्करी आदि से सम्बन्धित अपराध इत्यादि ।

डीएनए जीन सिक्वेंसर पर कार्य करते वैज्ञानिक

(2) **भौतिक साक्ष्यः**— शारीरिक द्रव जैसे रक्त, वीर्य, लार आदि लगे कपड़े, टीश्यू, अस्थियाँ, दाँत, बाल, सिगरेट—बीड़ी, गुटका, लिफाफा व च्यूइंगम पर उपस्थित लार, टूथब्रश, त्वचा, नाखून कतरन में उपस्थित रक्त व टीश्यू, भ्रूण, सड़े—गले, क्षत—विक्षत या आंशिक जले शव अवशेष से अथवा बम—विध्वंश के उपरांत प्राप्त शव के उत्तक—अंग, मिट्टी आदि।

(3) **उपकरण** :— ऑटोमेटेड डी.एन.ए. एक्सट्रेक्टर, पी.सी.आर., जेलडॉक सिस्टम, रियल टाइम पी.सी.आर, जीन सिक्वेंसर, रेफ्रीजरेटेड माइक्रोसेन्ट्रीफ्यूज मशीन, लेमीनर फ्लो, शेकिंग वाटरबाथ आदि।

साईबर फोरेन्सिक खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृतिः**—इंटरनेट जनित ई—कॉमर्स सम्बन्धित आर्थिक अपराध, ई—बैंकिंग धोखाधड़ी, सोशल मीडिया पर होने वाले अपराध, तस्करों/जासूसों/ घुसपैठियों/ आतंकियों से सम्बंधित संवेदनशील तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बंधित अपराधों/साईबर अपराधों, महिला अशिष्ट निरुपेण, ब्लैकमैलिंग, मानहानी, डाटा हाईडिंग/ टेंपरिग/ डिलीशन, फेक डॉक्यूमेंट, धोखाधड़ी, जुआ—सट्टेबाजी, हैकिंग, पोर्नोग्राफी, मनी लॉण्डरिंग, स्नीफिंग, स्टेग्नोग्राफी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, जैसे साईबर अपराधों के अतिरिक्त विडियो ऑथेंटिकेशन, सीसीटीवी. फुटेज तथा अन्य सामान्य अपराधों जिसमें प्रयुक्त कम्प्यूटर, मोबाईल तथा मेमोरी स्टोरेज मय इलेक्ट्रोनिक उपकरण/ प्रोग्रामयुक्त इलेक्ट्रोनिक उपकरण आदि से सम्बंधित अपराध।

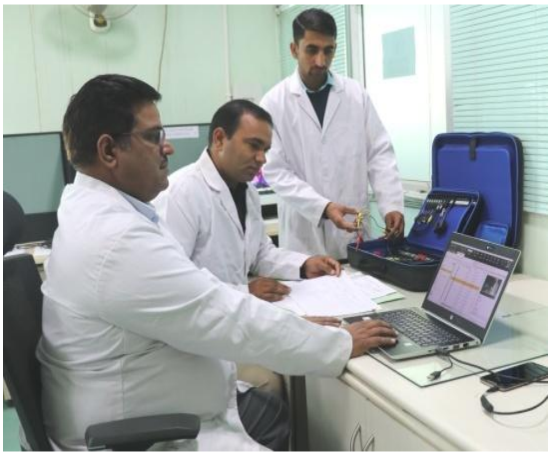

मोबाइल फोन फोरेंसिक एक्स.आर.वाई. साफ्टवेयर पर डेटा का परीक्षण करते वैज्ञानिक

(2) **भौतिक साक्ष्यः**—साईबर/कम्प्यूटर क्राइम से सम्बन्धित समस्त प्रोगामयुक्त इलेक्ट्रॉनिक/मेमोरी स्टोरेजयुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कम्प्यूटर, लैपटॉप, मोबाईल फोन, टैबलेट सिमकार्ड, पेनड्राईव, मेमोरीकार्ड, मैग्नेटिक एवं ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन, ए.टी.एम. मशीन, मैग्नेटिक एवं इलेक्ट्रॉनिक कार्ड स्वैपिंग मशीन, सॉफ्टवेयर इत्यादि।

(3) **उपकरणः**— कम्प्यूटर फोरेंसिक सॉफ्टवेयर/ हार्डवेयर— एनकेस फोरेंसिक वर्जन 8.11, एफ.टी.के. इंटरनेशनल वर्जन 7.0, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, हाई स्पीड क्लोनर/ इमेजिंग डिवाइस। मोबाईल फोरेंसिक सॉफ्टवेयर—एक्स. आर. वाई. वर्जन 9.3, मैगनेट एक्जीओम वर्जन 4.2, डीवीआर एक्जामिनर वर्जन 2.8.1 वी.डी. एक्सपर्ट विडियो ऑथेन्टिकेशन सॉफ्टवेयर, इमेजिंग डिवाईस : टी.एक्स 3, फालकॉन, लॉजीक्यूब डोजियर आदि।

भौतिक खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृतिः–** वाहन चोरी, सेंधमारी, डकैती, लूट–पाट, अपहरण, औद्योगिक एवं वाहन दुर्घटना, हत्या, टक्कर मारकर भागना, सड़क, बाँध, पुल, भवन सामग्री में मिलावट, आगजनी एवं शॉर्ट सर्किट, आरपीजीओ, स्टिंग ऑपरेशन, भ्रष्टाचार प्रकरण, 420 आईपीसी जालसाजी, कापीराईट एक्ट।

सीएसएल उपकरण पर आवाज (वाणी) का विश्लेषण करते वैज्ञानिक

(2) **भौतिक साक्ष्य :–** मोटर कार, काँच, पेंट, मिट्टी, जूते/टायर निशान, औजार चिन्ह, रेशे, कपड़े, रस्सी, रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट से छेड़–छाड़, आग्नेय शस्त्र व वाहनों के इंजन/ चेसिस नम्बर, नकली सामान, विद्युत आघात, विद्युत चोरी, अभियांत्रिक मशीन के भाग एवं औजार, भवन एवं औद्योगिक भवन का गिरना, सीमेंट कंकरीट, ईंट व अन्य सड़क सामग्री, सरिया, आवाज (ऑडियो) विश्लेषण द्वारा अपराधी की पहचान, फाँसी फंदा, कट मार्क्स, जुआ खेल, आगजनी, कॉपी राईट आदि।

नवस्थापित ई.डी.एक्स. उपकरण पर परीक्षण करते वैज्ञानिक।

(3) **उपकरणः–** ग्रीम, स्केनिंग इलेक्ट्रोन माईक्रोस्कोप, एक्स.आर.एफ., कम्प्यूटराईज्ड स्पीच लैब (मॉडल–4500) आदि।

अस्त्रक्षेप खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृतिः–** हत्या, हत्या का प्रयास, आत्महत्या, दुर्घटनावश गोली चलना, लूट–डकैती, अपहरण, दहशत फैलाना, डराना–धमकाना आदि।

मोबाईल फायरिंग रेस्ट उपकरण से टेस्ट फायरिंग करते वैज्ञानिक

(2) **भौतिक साक्ष्यः–** विभिन्न आग्नेयास्त्र व उसके हिस्से, कारतूस, खोखा कारतूस, डॉट, छर्रे, बुलेट, बारूद, परकुशन कैप, टारगेट जहाँ पर छर्रे अथवा बुलेट लगी, देशी तमन्चा, आर्म्स एक्ट के हथियार इत्यादि।

(3) **उपकरणः–** ई.डी.एक्स 8000., कम्पेरिजन माईक्रोस्कोप एवं वेलोसिटी मेजरिंग यूनिट, मोबाईल फायरिंग रेस्ट आदि।

प्रलेख खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृतिः–** भूमाफिया व जालसाजी, धोखाधड़ी, घोटाला, फिरौती, हत्या, बलात्कार, आत्महत्या, कापी–राइट एक्ट, ऑफीशियल सीक्रेट्स एक्ट।

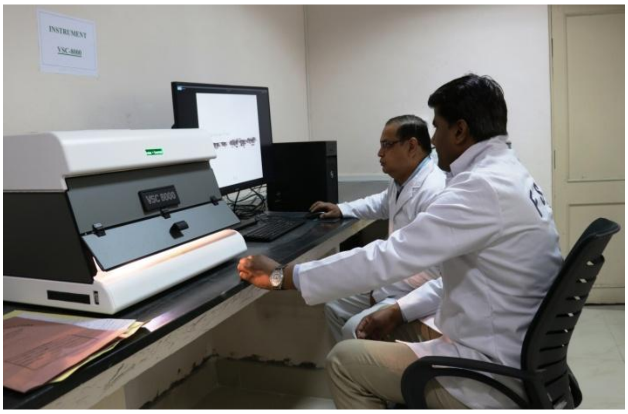

अत्याधुनिक वी.एस.सी. 8000 उपकरण से संदिग्ध दस्तावेज की जाँच करते वैज्ञानिक

(2) **भौतिक साक्ष्यः—** हस्तलेख, हस्ताक्षर, बैंक चेक, जायदाद खरीद / फरोख्त / हस्तांतरण संबंधी कागजात, टाइप लेख, दस्तावेजों में कांट—छांट, गुप्त लेख, रबर सील छाप, स्याही व कागज मिलान, जाली नोट, फोटोकापी मिलान, प्रिंटेड लेबल मिलान, वाहनों के रजिस्ट्रेशन व क्रय—विक्रय के पत्रादि, राशनकार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वीजा, स्टाम्प पेपर, क्रेडिट कार्ड इत्यादि।

आधुनिक ई.एस.डी.ए. उपकरण से संदिग्ध दस्तावेज की जाँच करते वैज्ञानिक

(3) **उपकरणः—**स्टीरियो जूम माईक्रोस्कोप, वी.एस. सी. 8000, रेगुला—4307, ई.एस.डी.ए. यू.वी. उपकरण आदि।

नारकोटिक्स खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृतिः—** एनडीपीएस एक्ट, एक्साईज एक्ट एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जब्त नशीले एवं मादक पदार्थों से संबंधित प्रकरण।

एच.पी.एल.सी. पर विश्लेषण करते वैज्ञानिक

(2) **भौतिक साक्ष्यः—** 1.मादक पदार्थ :— डोडा पोस्त, अफीम तथा उससे निर्मित मादक पदार्थ जैसे स्मैक (ब्राउन शुगर या हेरोइन), चन्डू, मदक आदि। केनाबिस प्लांट प्रोडक्टस :— भाँग, गांजा, चरस आदि तथा कोकीन। 2. मनःप्रभावी पदार्थः— मैन्ड्रैक्स, मेथाक्यूलोन, बारबीच्यूरेट्स, बेन्जोडायजेपीन, केटामिन, एल. एस.डी., एम्फीटामिन्स आदि ड्रग्स। 3. प्रतिबंधित रसायन :— जैसे एसीटिक एनहाइड्राइड, एन्थ्रेनेलिक एसिड, क्लोरो एसीटिक एसिड तथा मादक पदार्थों के व्युत्पन्न के निर्माण में प्रयुक्त रसायन।

(3) **उपकरणः—** जी.सी.मास, यू.वी. विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एच.पी.एल.सी. आदि।

रसायन खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृतिः—** अवैध शराब, शराब माफिया, जहरीली शराब त्रासदी, 16/54 व 19/54 आबकारी अधिनियम, रिश्वत, मिलावट, हत्या, तेजाब से जलाने के 7 पीसी(संशोधन) अधिनियम 2018, धारा 420, 302, 307 आईपीसी से सम्बन्धित प्रकरण, धोखाधड़ी आदि से सम्बन्धित प्रकरण।

(2) **भौतिक साक्ष्यः–** देशी व विदेशी शराब, अवैध शराब, तेजाब से जले कपड़े, साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, ट्रेप घोल (ए.सी.बी. केसेज) आदि।

एल्कोहल ऐनालाईजर पर एल्कोहल का परीक्षण करते वैज्ञानिक

(3) **उपकरणः–**गैस क्रोमेटोग्राफ, डिजिटल बैलेंस, ओवन, मेल्टिंग पांइट उपकरण, डिस्टिलेशन उपकरण, एल्कोहल ऐनालाईजर आदि।

आर्सन एवं एक्सप्लोज़िव खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृतिः–** आगजनी, धोखाधड़ी, दहेज हत्या व आवश्यक वस्तु 3/7 ई.सी. एक्ट, एक्सप्लोज़िव एक्ट, धारा 302, 307 आईपीसी आदि से सम्बन्धित प्रकरण।

(2) **भौतिक साक्ष्यः–** ज्वलनशील पैट्रोलियम पदार्थ, विलायक (सॉल्वेन्ट), एक्सप्लोज़िव्स मोबिल ऑयल, दहेज हत्या व आगजनी, विस्फोटक पदार्थ, आई.ई.डी. व विस्फोट जनित अवशेष।

(3) **उपकरणः–**पेट्रोल एवं डीजल एनालाइजर, गैस क्रोमेटोग्राफ, फ्लेश पाइंट उपकरण आदि।

गेसोलिन ऐनालाईजर पर प्रादर्शों का विश्लेषण करते वैज्ञानिक

विष खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृतिः–** हत्या, आत्महत्या, जहरखुरानी, दुर्घटना द्वारा मृत्यु जिसमें विष का संदेह हो, सर्पदंश, जन्तु विष, सामूहिक आपदा एवं 302, 328, 498ए, 304बी आईपीसी, 174, 176 सीआरपीसी, वन्य जीव एक्ट व राज. गोवंश संरक्षण एक्ट इत्यादि के अपराध।

एलाइजा रीडर उपकरण पर स्नेक वेनम का परीक्षण करते वैज्ञानिक

(2) **भौतिक साक्ष्यः–** विसरा, पेट की धोवन, उल्टी, रक्त, मूत्र में विष व विषजनित पदार्थ, जहरीली शराब, मादक व शामक औषधि, कीटनाशक दवाएं।

जी.सी.एच.एस. उपकरण पर कार्य करते हुये वैज्ञानिक

(3) **उपकरणः–** यू.वी. विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एफ.टी.आई.आर., डी.आई.पी. युक्त गैस क्रोमेटोग्राफ–मास स्पेक्ट्रोमीटर हेडस्पेस, एच.पी. एल.सी., एच.पी.टी.एल.सी., माईक्रोवेव सोलवेन्ट एक्सट्रेक्टर, एलाइजा रीडर फॉर स्नेक वेनम, कम्पाउंड माइक्रोस्कोप आदि।

पॉलीग्राफ (लाई – डिटेक्शन) खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृतिः–** धोखाधड़ी, डकैती, चोरी, आगजनी, हत्या आदि प्रकरणों में संदिग्ध,

गवाह अथवा शिकायतकर्ता द्वारा दिये गये बयान की सत्यता की पहचान ।

(2) **भौतिक साक्ष्यः–** संदिग्ध, गवाह अथवा शिकायतकर्ता के दिए गये बयान आदि।

(3) **उपकरणः–** कम्प्यूटराईज्ड पोलीग्राफ उपकरण (मॉडल एल.एक्स. 5000) आदि ।

फोटो खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृतिः–** अपराध प्रदर्शन/घटनास्थल की फोटोग्राफी, विशेष फोटोग्राफी, ट्रिक फोटोग्राफी, फोटो–मिलान, अध्यारोपण आदि।

(2) **भौतिक साक्ष्यः–** धोखाधड़ी, जमीन–जायदाद/ स्टाम्प पेपर के फोटोग्राफ, पासपोर्ट व अन्य पहचान पत्रों पर फोटोग्राफ का परीक्षण।

(3) **उपकरण एवं सॉफ्टवेयरः–** एच.पी. डिजाइन जेट प्लॉटर एंव फेस फोरेंसिक सॉफ्टवेयर।

द्वितीय चरणः–

विधि विज्ञान प्रयोगशाला के उपयोग के क्षेत्र को बढ़ाने के क्रम में संभागीय मुख्यालयों पर परीक्षण सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर एवं अजमेर में नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित क्षेत्रीय प्रयोगशालांए आधुनिकतम भवनों में कार्य कर रही हैं। क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला भरतपुर में भवन के निर्माणकार्य प्रक्रियाधीन है।

तृतीय चरणः–

साक्ष्य सामग्री के वैज्ञानिक विधियों से शीघ्र से शीघ्र चिन्हीकरण एवं एकत्रीकरण करने हेतु राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर फोरेंसिक मोबाईल यूनिट्स कार्यरत है, जो घटनास्थल पर शीघ्र पहुंचकर जांच अधिकारी को वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित करने में सहायता देती है। इस कार्य हेतु प्रत्येक यूनिट में फोरेंसिक वैज्ञानिक, वाहन, उपकरण एवं रसायनों की सुविधा का प्रावधान किया गया है।

प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास

प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों द्वारा भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान न्यायिक सेवा, राजस्थान वन सेवा, लोक अभियोजक, चिकित्सा अधिकारियों, विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्रों एवं विभिन्न राज्यों से आगंतुक अधीनस्थ पुलिस कार्मिकों को न्यायालयिक विज्ञान सम्बंधी व्याख्यान एवं प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान के फोरेंसिक ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट (एफ.टी.आर.आई.) एवं समस्त प्रयोगशालाओं में वर्ष 2020 में 1974 फोरेंसिक वैज्ञानिकों, पुलिस अधिकारियों एवं अन्य प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों द्वारा देश के विभिन्न संस्थानों व विश्वविद्यालयों में व्याख्यान दिये गये। प्रयोगशाला के अनेक वैज्ञानिकों के शोध पत्र अंतराष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर के जर्नल में प्रकाशित हुए। प्रयोगशाला के विभिन्न स्तर के वैज्ञानिकों को देश के उच्च वैज्ञानिक संस्थानों में प्रशिक्षण दिलवा कर आधुनिक विधियों से अद्यतन करवाया जाता है।

एफ.टी.आर.आई.प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देते हुये वैज्ञानिक

भरतपुर में पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देते हुये वैज्ञानिक

न्यायालयिक विज्ञान के सिद्धान्त

1. **वैयक्तिता का नियम** : प्रत्येक वस्तु प्राकृतिक अथवा कृत्रिम अपने आप में विशिष्ट होती है। वह किसी भी अन्य वस्तु के शतप्रतिशत समान नहीं हो सकती।
2. **लोकार्ड का विनिमय सिद्धान्त** : सम्पर्क में आने पर वस्तुओं एवं चिन्हों का सदैव आदान प्रदान होता है।
3. **प्रगतिशील परिवर्तन का नियम** : समय व्यतीत होने के साथ हर वस्तु में परिवर्तन होता है।
4. **तुलना का सिद्धांत** : केवल एक प्रकार की वस्तुओं की ही तुलना की जा सकती है।
5. **विश्लेषण का सिद्धांत** : परीक्षण हेतु भेजा गया नमूना जितना अच्छा होता है परिणाम उतने ही अच्छे होते है।
6. **संभावना का सिद्धांत** : निश्चित या अनिश्चित प्रत्येक प्रकार की पहचान सदैव संभावना के आधार पर ही की जाती है।
7. **परिस्थितिजन्य तथ्यों का नियमः** व्यक्ति झूठ बोल सकता है किन्तु भौतिक साक्ष्य कदा्चित नहीं।

राज्य विधि विज्ञान निदेशालय : अपराध अनुसंधान में महत्त्वपूर्ण भूमिका

आपराधिक न्याय प्रणाली के तीन प्रमुख स्तम्भों के रूप में पुलिस एवं न्यायालय के मध्य राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं एक अभिन्न एवं संयोजी कड़ी के रूप में कार्यरत है। बहुवैज्ञानिक संस्थान के रूप में स्थापित इन प्रयोगशालाओं में प्रामाणिक वैज्ञानिक विधियों एवं अत्याधुनिक उपकरणों की सहायता से अपराध सम्बंधी भौतिक सामग्री (आपराधिक प्रादर्शों) का विश्लेषणात्मक परीक्षण किया जाता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 के तहत विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की परीक्षण रिपोर्ट अपराध में संदिग्ध व्यक्ति की लिप्तता स्थापित करने हेतु साक्ष्य के रूप में मान्य है। 'एक्सपर्ट ओपिनियन' के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली ये रिपोर्ट निदेशक, उप निदेशक एवं सहायक निदेशक स्तरीय अधिकारियों के द्वारा जारी की जाती है।

प्रयोगशाला में प्राप्त होने वाले प्रकरण आईपीसी, सीआरपीसी, पोक्सो एक्ट, आर्म्स एक्ट, आई.टी. एक्ट, महिला अशिष्ट निरूपण एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेटस एक्ट, कॉपीराईट एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आबकारी एक्ट, भ्रष्टाचार निवारण एक्ट, एक्सप्लोसि़व एक्ट, आरपीजीओ एक्ट, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट एक्ट, गौवंश संरक्षण एक्ट से सम्बन्धित होते है। फोरेंसिक रिपोर्ट मुख्यतः राज्य की पुलिस एवं न्यायालयों को उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त सी.बी.आई., राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नारकोटिक्स, रसद, आबकारी, रेल्वेज, कस्टम, आयकर, वन, सैन्य विभाग, स्वास्थ्य एवं अन्य विभागों को भी रिपोर्ट दी जा रही है।

प्रयोगशाला में जाँच हेतु विभिन्न प्राधिकृत सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं एवं व्यक्तियों से प्राप्त होने वाले अपराध प्रादर्शों के परीक्षण के अतिरिक्त अन्वेषक संस्थाओं को अन्वेषण की दिशा तय करने के लिए घटना स्थल पर उपलब्ध भौतिक साक्ष्य सामग्री के चिन्हीकरण एवं एकत्रीकरण में वैज्ञानिक सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। जिससे अपराध के घटित होने, घटना का समय काल, तरीका एवं अपराधी तक पहुचने में मदद मिलती है।

जटिल अपराधों की गुत्थी सुलझाने के लिए प्रकरण विशेष की आवश्यकतानुसार शोध एवं विकास कार्य भी किये जाते है। ये शोध एवं विकास कार्य विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों में जारी शोध कार्यों की अपेक्षा विशिष्ट एवं भिन्न होते हैं।

सामान्य प्रकार के अपराधों के अतिरिक्त निम्न अग्रणी, हाई–टेक एवं अत्याधुनिक क्षेत्रों में नवीनतम तकनीक के साथ परीक्षण कार्य किया जाता है :–

1	**साईबर फोरेंसिक्स (कम्प्यूटर फोरेंसिक, मोबाईल फोरेंसिक व नेटवर्क फोरेंसिक)**	इंटरनेट जनित ई–कॉमर्स सम्बन्धित आर्थिक अपराध, ई–बैंकिंग धोखाधड़ी, सोशल मीडिया पर होने वाले अपराध, तस्करों/जासूसों/घुसपैठियों/ आतंकियों से सम्बंधित संवेदनशील तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बंधित अपराधों/साईबर अपराधों, महिला अशिष्ट निरुपेण, ब्लैकमैलिंग, मानहानी, डाटा हाईडिंग/ टेंपरिग / डिलीशन, फेक डॉक्यूमेंट, धोखाधड़ी, जुआ–सट्टेबाजी, हैकिंग, पोर्नोग्राफी, मनी लॉण्डरिंग, स्नीफिंग, स्टेग्नोग्राफी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, जैसे साईबर अपराधों के अतिरिक्त स्टिंग ऑपरेशन, विडियो ऑथेंटिकेशन, सीसीटीवी. फूटेज तथा अन्य सामान्य अपराधों जिसमें प्रयुक्त कम्प्यूटर, मोबाईल तथा मेमोरी स्टोरेज मय इलेक्ट्रोनिक उपकरण/प्रोग्रामयुक्त इलेक्ट्रोनिक उपकरण का परीक्षण कार्य जयपुर स्थित प्रयोगशाला में किया जा रहा है।
2	**वाणी (ऑडियो) परीक्षण**	अपहरण, रिश्वत खोरी, होक्स (टेलीफोन) कॉल अथवा धमकी देने के मामलों में आवाज से व्यक्ति विशेष की पहचान के सबूत जुटाने के लिए कम्प्यूटराइज्ड डिजिटल वॉयस एनालाईजर प्रयोग में लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गुप्त डिजिटल रिकॉर्डर से स्टिंग आपरेशन से कूटरचित ऑडियो रिकार्डिंग की सत्यता परखने के लिए उन्नत उपकरण प्रयोग में लिये जा रहे है।
3	**वाइल्ड–लाइफ फोरेंसिक**	वन्य जीव अपराधों से निपटने के लिए जयपुर एफ.एस.एल. में वन्य जीवों के अंगो व अवशेषों का परीक्षण किया जा रहा है।
4	**फोरेंसिक डी.एन.ए. फिंगरप्रिंटिंग**	बलात्कार, हत्या जैसी हिंसक वारदातों में अपराधी की पहचान, संदिग्ध पैतृकता में पिता की पहचान, कंकाल से मृतक की पहचान, दहेज हत्या, गैंग रेप, विकृत शवों से गुमशुदा व्यक्ति की पहचान के लिए एवं भ्रूण हत्या के मामलों के परीक्षण के लिए जयपुर में डीएनए फिंगर प्रिटिंग की जांच की जाती है।
5	**पॉलिग्राफ परीक्षण**	धोखाधड़ी, डकैती, चोरी, आगजनी, हत्या आदि प्रकरणों में संदिग्ध, गवाह अथवा शिकायतकर्ता द्वारा दिये गये बयान की सत्यता की पहचान की जाती है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : चरणबद्ध विकास

1. वर्ष 1959 में राज्य में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना गृह विभाग के आदेशों से पुलिस मुख्यालय में प्रलेख एवं फोटो खण्ड से आरम्भ हुई। 1967 में रसायन, 1970 में जैविक एवं 1973 में भौतिक खण्ड प्रारम्भ हुआ।
2. वर्ष 1970 में प्रयोगशाला में प्रथम तकनीकी निदेशक की नियुक्ति की गई।
3. वर्ष 1974 में प्रयोगशाला भवन का राजस्थान पुलिस अकादमी के समीप नेहरू नगर में पृथक प्रांगण में निर्माण करा प्रयोगशाला उसमें स्थानांतरित की गई।
4. वर्ष 1974 में अस्त्रक्षेप, 1983 में विष एवं 1984 में सीरम खण्डों में परीक्षण आरंभ किया गया।
5. वर्ष 1992 में नारकोटिक्स, आर्सन एण्ड एक्सप्लोसिव तथा लाई–डीटेक्शन खण्डों के स्वीकृति आदेश जारी।
6. वर्ष 1995 में जोधपुर एवं उदयपुर की क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं स्वीकृत एवं 1997 से इनमें परीक्षण कार्य आरंभ।
7. वर्ष 1998 में जोधपुर क्षेत्रीय प्रयोगशाला भवन का शिलान्यास एवं निर्माण आरंभ।
8. वर्ष 2004 में डी.एन.ए. फिंगरप्रिंटिंग भवन का निर्माण प्रारंभ, कम्प्यूटर लैब एवं वन्यजीव फोरेंसिक के लिए भवन निर्माण, उदयपुर क्षेत्रीय प्रयोगशाला भवन का निर्माण एवं शासन द्वारा 30 जिला चल इकाइयों की स्वीकृति।
9. वर्ष 2005 में कोटा क्षेत्रीय प्रयोगशाला के भवन का निर्माण मुख्य प्रयोगशाला, जयपुर में कम्प्यूटर फोरेंसिक, ऑडियो वीडियो ऑथेंटिकेशन एवं साईबर फोरेंसिक तकनीक का कार्य प्रारंभ।
10. वर्ष 2006 में उदयपुर प्रयोगशाला भवन का लोकार्पण, 16 जिला चल इकाइयों की स्थापना, डी.एन.ए. एवं साईबर लैब के लिए पृथक स्टाफ स्वीकृत।
11. वर्ष 2007 में कोटा क्षेत्रीय प्रयोगशाला में आंशिक स्टाफ स्वीकृति पश्चात कार्य आरंभ, 14 जिला मोबाईल यूनिट्स की स्थापना, 7 चल इकाईयों के भवन का निर्माण प्रारंभ।
12. वर्ष 2008 में डी.एन.ए. पृथक्करण का कार्य आरंभ हुआ। बीकानेर क्षेत्रीय प्रयोगशाला के लिए आंशिक स्टाफ स्वीकृत। 4 जिला मोबाईल यूनिट का स्टाफ स्वीकृत एवं वर्ष 2009 से कार्य आरंभ।
13. वर्ष 2010 में जयपुर में डी.एन.ए. परीक्षण हेतु अन्य आवश्यक उपकरण स्थापित।
14. वर्ष 2011 में अजमेर क्षेत्रीय प्रयोगशाला प्रथम चरण के स्वीकृति आदेश जारी।
15. वर्ष 2013 में साईबर फोरेन्सिक खण्ड, जयपुर के सहायक निदेशक का पद स्वीकृत हुआ।
16. वर्ष 2013 में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर में रसायन खण्ड ने कार्य प्रारंभ किया।
17. वर्ष 2014 में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बीकानेर में विष, जैविक एवं सीरम खण्ड तथा क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर में विष खण्ड ने कार्य करना प्रारंभ किया।
18. वर्ष 2015 में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर के परिसर में फोरेंसिक ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के भवन के भूतल का निर्माण किया गया।
19. वर्ष 2015 में भरतपुर के क्षेत्रीय प्रयोगशाला में भौतिक, जैविक, सीरम तथा विष खण्ड प्रारम्भ एवं क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर में जैविक खण्ड आरम्भ हुआ।
20. वर्ष 2017 में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर मे स्थापित पॉलिग्राफ सेंटर में कार्य प्रारम्भ किया गया।
21. वर्ष 2017 में फोरेंसिक ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में सुविधाओं का विस्तार कर अपराधों के वैज्ञानिक अनुसंधान में कौशल विकास का कार्य प्रारम्भ किया गया ।
22. वर्ष 2019 में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर तथा बीकानेर के नवनिर्मित भवन में कार्य प्रारंभ किया गया।
23. वर्ष 2019 में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर में जैविक खण्ड ने कार्य प्रारंभ किया।
24. वर्ष 2020 में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान की सभी प्रयोगशालाओं में प्राप्त प्रकरणों का डाटा एन्ट्री कार्य ई–फोरेन्सिक सॉफ्टवेयर पर प्रारम्भ किया गया।

संगठनात्मक ढांचा (तकनीकी)

निदेशालय
राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला राजस्थान

- **राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर**
  - रसायन खण्ड
  - प्रलेख खण्ड
  - जैविक खण्ड
  - विष खण्ड
  - सीरम खण्ड
  - भौतिक खण्ड
  - फोटो खण्ड
  - अस्त्रक्षेप खण्ड
  - डी.एन.ए खण्ड
  - नारकोटिक्स खण्ड
  - साईबर फोरेन्सिक खण्ड
  - आर्सन एवं एक्सप्लोसिव खण्ड
  - पॉलीग्राफ (लाई-डिटेक्शन) खण्ड
- **क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर**
  - रसायन खण्ड
  - प्रलेख खण्ड
  - जैविक खण्ड
  - विष खण्ड
  - सीरम खण्ड
- **क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर**
  - रसायन खण्ड
  - प्रलेख खण्ड
  - जैविक खण्ड
  - विष खण्ड
  - सीरम खण्ड
- **क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला कोटा**
  - जैविक खण्ड
  - विष खण्ड
  - सीरम खण्ड
  - भौतिक खण्ड
- **क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला अजमेर**
  - रसायन खण्ड
  - विष खण्ड
  - सीरम खण्ड
- **क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला भरतपुर**
  - जैविक खण्ड
  - विष खण्ड
  - सीरम खण्ड
  - भौतिक खण्ड
- **क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला बीकानेर**
  - जैविक खण्ड
  - विष खण्ड
  - सीरम खण्ड
  - भौतिक खण्ड
  - अस्त्रक्षेप खण्ड
- **जिला मोबाइल फोरेन्सिक यूनिट (कुल-34)**
  - जयपुर में दो मोबाइल फोरेन्सिक यूनिट तथा अन्य सभी जिला मुख्यालय पर एक-एक जिला मोबाइल फोरेन्सिक यूनिट

राजस्थान विधि विज्ञान निदेशालय का संगठनात्मक स्वरूप

स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण (31–12–2020 की स्थिति में)

राजस्थान विधि विज्ञान निदेशालय की मुख्य प्रयोगशाला, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं एवम् जिला मोबाईल फोरेंसिक यूनिट्स के लिए स्वीकृत, वर्तमान नफरी और रिक्त पदों की स्थिति निम्न प्रकार है:–

कैडरवाईज स्थिति

क्रम सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	वर्तमान नफरी	रिक्त पद
1.	तकनीकी अधिकारी	126	60	66
2.	तकनीकी कर्मचारी	295	169	126
	कुल योग	**421**	**229**	**192**

वैज्ञानिक एवं तकनीकी संवर्ग

क्रम सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	वर्तमान नफरी	रिक्त पद
1.	निदेशक	01	(अतिरिक्त कार्यभार)	01
2.	अतिरिक्त निदेशक	04	02	02
3.	उप निदेशक	05	04	01
4.	सहायक निदेशक	39	30	09
5.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	77	24	53
6.	वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	43	21	22
7.	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	96	67	29
8.	तकनीकी सहायक	01	–	01
9.	प्रयोगशाला सहायक	78	57	21
10.	कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	77	24	53
	कुल योग	**421**	**229**	**192**

मंत्रालयिक एवं लेखा संवर्ग

क्रम सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	वर्तमान नफरी	रिक्त पद
1.	लेखाधिकारी	01	–	01
2.	सहायक लेखाधिकारी	01	01	–
3.	कनिष्ठ लेखाकार	06	04	02
4.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	01	01	–
5.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	05	05	–
6.	निजी सहायक	01	01	–
7.	शीघ्रलिपिक	02	–	02
8.	वरिष्ठ सहायक	08	05	03
9.	कनिष्ठ सहायक	16	15	01
10.	दफ्तरी	01	01	–
11.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	20	17	03
12.	स्वीपर	03	01	02
13.	विसरा कटर	04	03	01
14.	प्रयोगशाला कर्मचारी	09	09	–
15.	कानि0 ड्राईवर	14	13	01
16.	चालक	03	–	03
	कुल योग	**95**	**76**	**19**

नियमित बजट एवं आधुनिकीकरण योजना अन्तर्गत राशि

(31–12–2020 की स्थिति में)

(अ) वर्ष 2020–21 बजट आवंटन एवं व्यय (आयोजना भिन्न राशि रूपये लाखों में)

क्र.सं.	शीर्षक	अनुमानित बजट राशि	संशोधित बजट राशि	व्यय राशि	शेष
1.	संवेतन (01)	2300.00	2050.00	1694.76	355.24
2.	यात्रा व्यय (03)	23.00	15.00	11.44	3.56
3.	चिकित्सा व्यय (04)	4.00	2.00	1.86	0.14
4.	कार्यालय व्यय (05)	80.00	90.00	73.33	16.67
5.	वाहन क्रय (06)	0.01	0.01	0.01	00.00
6.	कार्यालय वाहनों का संचालन एवं संधारण (07)	20.00	15.00	14.51	0.49
7.	वृत्तिक और विशिष्ट सेवाएं (08)	02.00	00.10	00.06	0.5
8.	किराया, रेट और कर/रॉयल्टी (09)	10.40	10.40	5.96	4.44
9.	मशीनरी, और साज सामान/औजार एवं संयंत्र नवीन उपकरण (18)	365.00	500.00	355.55	144.45
10.	अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेन्स) (21)	65.00	50.00	48.70	1.30
11.	वर्दियां तथा अन्य सुविधाएं (37)	0.50	0.40	0.30	0.10
12.	संविदा तथा अन्य सुविधाएं (41)	60.00	45.00	35.50	9.50
13.	कम्प्यूटराइजेशन एवं तत्सम्बन्धी संचार व्यय (62)	21.00	00.00	00.00	00.00
	कुल योग (आयोजना भिन्न)	**2950.91**	**2777.91**	**2241.98**	**536.39**

(ब) वर्ष 2020–21 आयोजना बजट मद (राशि रूपये लाखों में)

क्र. सं.	मद का नाम	अनुमानित बजट राशि	संशोधित बजट राशि	व्यय राशि	शेष
1.	बृहद निर्माण–अजमेर, बीकानेर तथा भरतपुर क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगाशाला भवन निर्माण, मरम्मत कार्य मुख्य प्रयोगशाला, जयपुर एवं क्षेत्रीय प्रयोगशाला जोधपुर (17)	401.49	265.00	32.01	232.99
2.	मशीनीकरण, उपकरण, औजार इत्यादि (पुलिस आधुनिकीकरण) (18)	401.00	510.06	384.16	125.16
3.	निर्भया फंड अन्तर्गत आवंटन	110.00	281.42	245.78	35.64
	योग (आयोजना)	**912.49**	**1056.48**	**661.95**	**393.79**

प्रकरण सांख्यिकी (Case Statistics)

Directorate of Forensic Science Laboratory Rajasthan
Case Statistics from 01-01-2020 to 31-12-2020

(i) Statement showing Year–wise position of Received, Disposal and Pending Cases

S. NO.	YEAR	PENDENCY AS ON 1ST JANUARY	RECEIVED CASES DURING THE YEAR	TOTALN0. OF CASES	EXAMINED CASES DURING THE YEAR	PENDENCY AS ON 31ST December
1.	2016	10840	34340	45180	38578	6602
2.	2017	6455	37154	43609	37197	6412
3.	2018	6412	38442	44854	34907	9947
4.	2019	9947	43434	53381	39240	14141
5.	**2020**	**14141**	**39679**	**53820**	**38080**	**15740**

(ii) Statement showing position of Received, Disposal and Pending Cases for SFSL and RFSLs.

S. NO.	FORENSIC SCIENCE LABORATORIES	PENDING CASES ON 01-01-2020	RECEIVED CASES IN 2020	TOTAL CASES	EXAMINED CASES		PENDING CASES ON 31-12-2020
					CASES	EXHIBITS	
1.	State FSL Jaipur	6631	19174	25805	17002	86024	8803
2.	Regional FSL Jodhpur	1496	6778	8274	6601	33454	1673
3.	Regional FSL Udaipur	2154	6262	8416	6474	25005	1942
4.	Regional FSL Kota	1031	1740	2771	1906	10151	865
5.	Regional FSL Bikaner	1523	2045	3568	2480	15373	1088
6.	Regional FSL Ajmer	1011	2856	3867	2811	9222	1056
7.	Regional FSL Bharatpur	295	824	1119	806	4363	313
	Grand Total :	**14141**	**39679**	**53820**	**38080**	**183592**	**15740**

(iii) Total number of Crime Scenes visited in the Rajasthan:- 1556

(iv) Statement showing Received, Disposal and position of Pending cases of State Forensic Science Laboratory, Jaipur:-

S. NO.	NAME OF DIVISION	PENDING CASES ON 01-01-2020	RECEIVED CASES IN 2020	TOTAL CASES	EXAMINED CASES		PENDING CASES ON 31-12-2020
					CASES	EXHIBITS	
1.	Documents Division	61	366	427	380	28719	47
2.	Chemistry Division	1385	7530	8915	8580	12619	335
3.	Arson & Explosive	38	155	193	88	262	105
4.	Narcotics Division	591	1195	1786	1377	3894	409
5.	Biology Division	155	1696	1851	1659	12186	192
6.	Physics Division	75	464	539	325	1549	214
7.	Polygraph Division	0	10	10	7	16	3
8.	Cyber Forensic Division	592	554	1146	306	1600	840
9.	Ballistics Division	90	260	350	252	2867	98
10.	Toxicology Division	409	2010	2419	1913	11511	506
11.	Serology Division	99	605	704	685	4112	19
12.	DNA Division	3136	4329	7465	1430	6689	6035
	Total	**6631**	**19174**	**25805**	**17002**	**86024**	**8803**
	Photo Section :	30	1245	1275	1235	Neg.19175 Print.10656	40

(v) Statement showing Received, Disposal and position of Pending cases of Regional Forensic Science Laboratory Jodhpur, Udaipur, Kota, Bikaner, Ajmer & Bharatpur:-

S. NO.	NAME OF DIVISION	PENDING CASES ON 01-01-2020	CASES RECEIVED in 2020	TOTAL CASES	EXAMINED CASES		PENDING CASES ON 31-12-2020
					CASES	EXHIBITS	
	REGIONAL FSL, JODHPUR						
1.	Documents Division	51	222	273	226	14787	47
2.	Chemistry Division	857	5386	6243	5013	9215	1230
3.	Toxicology Division	333	722	1055	822	6612	233
4.	Serology Division	145	276	421	318	1567	103
5.	Biology Division	110	172	282	222	1273	60
	Total	**1496**	**6778**	**8274**	**6601**	**33454**	**1673**
	REGIONAL FSL, UDAIPUR						
1.	Documents Division	7	86	93	88	4095	5
2.	Chemistry Division	506	4389	4895	4337	9170	558
3.	Toxicology Division	328	836	1164	789	4616	375
4.	Serology Division	337	563	900	527	2956	373
5.	Biology Division	976	388	1364	733	4168	631
	Total	**2154**	**6262**	**8416**	**6474**	**25005**	**1942**
	REGIONAL FSL, KOTA						
1.	Biology Division	222	206	428	310	2030	118
2.	Physics Division	50	133	183	154	755	29
3.	Toxicology Division	562	749	1311	876	4692	435
4.	Serology Division	197	652	849	566	2674	283
	Total	**1031**	**1740**	**2771**	**1906**	**10151**	**865**
	REGIONAL FSL, BIKANER						
1.	Biology Division	952	246	1198	775	5378	423
2.	Physics Division	5	261	266	167	485	99
3.	Ballistic Division	20	87	107	86	750	21
4.	Toxicology Division	277	794	1071	762	5466	309
5.	Serology Division	269	657	926	690	3294	236
	Total	**1523**	**2045**	**3568**	**2480**	**15373**	**1088**
	REGIONAL FSL, AJMER						
1.	Chemistry Division (Liquor cases)	329	1775	2104	1668	2476	436
2.	Toxicology Division	679	897	1576	975	5859	601
3.	Serology Division	3	184	187	168	887	19
	Total	**1011**	**2856**	**3867**	**2811**	**9222**	**1056**
	REGIONAL FSL, BHARATPUR						
1.	Biology Division	74	206	280	105	577	175
2.	Serology Division	100	151	251	187	700	64
3.	Physics Division	11	46	57	44	168	13
4.	Toxicology Division	110	421	531	470	2918	61
	Total	**295**	**824**	**1119**	**806**	**4363**	**313**

एफ.एस.एल. में परीक्षण किये गये कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकरण

साईबर फोरेन्सिक प्रकरणः

1. **राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बन्धित प्रकरणों में मोबाईल से महत्वपूर्ण डाटा की रिकवरीः–**

(i) थाना–स्पेशल पुलिस थाना, सी.आई.डी. सुरक्षा, जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 03/19 धारा 3, 3/19 ओ.एस. एक्ट 1923 के अन्तर्गत पोकरण आर्मी केन्ट में कार्यरत जवान द्वारा सोशल मीडिया के जरिये आर्मी से संबंधित गोपनीय सूचनाओं को पाकिस्तानी खूफिया एजेन्सी को शेयर करने में जवान से जब्त मोबाईल से प्रकरण से सम्बन्धित महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य रिकवर किये गये।

(ii) थाना–स्पेशल पुलिस थाना, सी.आई.डी. सुरक्षा, जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 01/20 धारा 3, 3/9 ओफिसियल सिक्रेट एक्ट 1923, 120बी भा.द.स. के अन्तर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बन्धित प्रकरण में श्रीगंगानगर के आर्मी क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों द्वारा सोशल मीडिया के जरिये आर्मी से संबंधित गोपनीय सूचनाओं को पाकिस्तानी खूफिया एजेन्सी को शेयर करने में संबंधित व्यक्तियों से जब्त मोबाईलों से महत्वपूर्ण डाटा रिकवर करवा कर प्रकरण में साक्ष्य प्रदान किये।

(iii) थाना–सेडवा, बाड़मेर के द्वारा प्रकरण के अन्तर्गत अभियुक्त द्वारा सैन्य संबंधित गोपनीय फोटोग्राफस एवं विडियों को कैप्चर एवं संग्रहित करने में उपयोग हुये मोबाईल फोन तथा पैनड्राईव से महत्वपूर्ण वाट्सएप मैसेज, पिक्चर फाईल्स, विडियो फाईल्स, टैक्सट मैसेज, डॉक्यूमेंट फाईल आदि कई महत्वपूर्ण डिजीटल साक्ष्य रिकवर कर प्रकरण में दिशा प्रदान की गई ।

2. **भ्रष्टाचार प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा प्रेषित स्क्रेच्ड् एवं इनएक्सेसेबल सीडी से डाटा की रिकवरीः–**

भ्रष्टाचार प्रकरण में माननीय विशिष्ट न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण उदयपुर के द्वारा प्रेषित स्क्रेच्ड् एवं इनएक्सेसेबल सीडी से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट फाईल्स को रिकवर कर उपलब्ध करवाया गया।

3. **पोक्सो प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य की रिकवरीः–**

थाना–सुमेरपुर, पाली द्वारा प्रकरण 330/19 धारा 363, 376(3), 511, 368 भादस एवं 4/18, 14 पोक्सो एक्ट व 67 बी आईटी एक्ट के अन्तर्गत मुल्जिम से जब्त मोबाईल फोन से प्रकरण से सम्बंधित अश्लील फोटो को रिकवर कर जब्त मोबाईल फोन से ही सम्बंधित फोटो को खिंचने के साक्ष्य की रिकवरी कर प्रकरण में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की।

4. **रिमोट एक्सेस द्वारा परीक्षा की गोपनीयता भंग करने संबंधित प्रकरण में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज से महत्वपूर्ण डाटा की रिकवरीः–**

एस. ओ. जी., जयपुर द्वारा प्रकरण 04/18 धारा 419, 420, 465, 466, 467, 468, 472, 473, 477, 120बी आईपीसी व 43/66, 66डी आईटी एक्ट के अन्तर्गत राजस्थान पुलिस कानि0 भर्ती परीक्षा वर्ष 2017 में रिमोट एक्सेस द्वारा परीक्षा की गोपनीयता भंग करने संबंधित प्रकरण में संबंधित परीक्षाकेन्द्रों का निरीक्षण कर अनुसंधानधिकारी को प्रकरण से सम्बन्धित विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जैसे सी.पी.यू., मोबाईल फोन, पेनड्राईव एवं लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस नेटवर्क डिवाइस, आउटडोर पॉइंट टू पॉइंट सीपीई, लॉन्ग रेंज आउटडोर एक्सेस पॉइंट आदि को जब्त करने की सलाह प्रदान की गई। साईबर खण्ड में इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज से डार्क कोमेट, एनीडेस्क इत्यादि रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर के एक्सेस से सम्बन्धित महत्वपूर्ण साक्ष्य एवं प्रश्नपत्रों के आदान–प्रदान इत्यादि से संबंधित डाटा रिकवर करवा कर प्रकरण के अनुसंधान में सहायता प्रदान की गई।

5. **जयपुर वि.वि.नि. लिमिटेड की वेबसाइट सर्वर पर रेन्समवेअर मालवेयर के अटैक से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य की रिकवरीः–**

थाना– साईबर पुलिस स्टेशन, जिला– एस.सी. आर.बी., जयपुर सिटी मुकदमा नं0–23/18,

धारा 43, 66, 66(सी) आई.टी. एक्ट एवं 384 आई.पी.सी. प्रकरण के अन्तर्गत जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की वेबसाइट सर्वर की हार्डडिस्क में रेन्समवेअर मालवेयर के अटैक द्वारा सर्वर को एनक्रिप्ट किये जाने के फलस्वरूप संबंधित रिमोट एक्सेंस आई.पी. एड्रेस, सर्वर इवेंट लॉग एवं बाउजर हिस्ट्री के महत्वपूर्ण डिजीटल साक्ष्य रिकवर कर अनुसंधान में सहायता प्रदान की गई।

6. **बहुचर्चित दोहरे हत्याकाण्ड एवं अपहरण प्रकरण में जप्त मोबाईल फोन से महत्वपूर्ण डाटा की रिकवरी :–**
थाना–प्रतापनगर, जयपुर (पूर्व) द्वारा प्रकरण 26/20 धारा 302, 394, 364क, 120बी आई. पी.सी. के अन्तर्गत बहुचर्चित प्रकरण में महिला की हत्या कर उसके 21 माह के बच्चे के अपहरण तथा हत्या के प्रकरण में उपयोग हुये मोबाईल फोनों से आरोपियों के मोबाइल से विभिन्न एप्लीकेशन के मैसेज एवं पिक्चर फाईल के आदान–प्रदान के साक्ष्य रिकवर कर प्रकरण में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया।

7. **वन्य जीव संरक्षण प्रकरण में वीडियो की फोरेंसिक जांचः–**
उप वन संरक्षक, भीलवाड़ा के द्वारा वन्य जीव संरक्षक अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज प्रकरण में नर पैंथर को लाठियों से पीटने सम्बन्धित प्रकरण में वायरल हुए वीडियो की फोरेंसिक जांच कर प्रकरण में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया गया।

8. **बलात्कार एवं अपहरण प्रकरण में जब्त मोबाईल से प्रकरण से सम्बंधित विडियो की रिकवरीः–** थाना–नोहर, हनुमानगढ द्वारा प्रकरण 430/18 धारा 376डी, 366, 506, 120बी भा.द.स. के अन्तर्गत मुल्जिम से जब्त मोबाईल फोन से प्रकरण से सम्बंधित बलात्कार के विडियो को रिकवर कर प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान किये।

9. **वाणिज्य कर विभाग की राजविस्टा वेबसाइट के अनऑथोराईज्ड एक्सेस संबंधित प्रकरण से डिजीटल साक्ष्य की रिकवरीः–**
थाना– मथुरा गेट, भरतपुर प्रकरण संख्या 111/18 धारा– 420, 467, 468, 471 आईपीसी एवं 65, 66, 66सी, 66डी आईटी एक्ट के अन्तर्गत वाणिज्य कर विभाग की राजविस्टा वेबसाइट के अनऑथोराईज्ड एक्सेस संबंधित प्रकरण में राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में फर्जी तरीके से रिफण्ड प्रदान करने में महत्वपूर्ण वेब हिस्ट्री एवं आईपी एड्रैस आदि डिजीटल साक्ष्य रिकवर कर प्रकरण में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया गया।

10. **ओपन सोर्स फोरेंसिक तकनीक द्वारा लेपटाप से डाटा की रिकवरीः–**
थाना– महेश नगर, जयपुर दक्षिण प्रकरण संख्या 558/17 धारा– 420, 406, 379 आईपीसी एवं 66सी आईटी एक्ट के अन्तर्गत एक निजी कम्पनी में कार्यरत कर्मचारी द्वारा कम्पनी से संबंधित गोपनीय डाटा को शेयर करने में उपयोग में लाये गये लेपटाप से साईबर लैब में उपलब्ध लाइसेन्स्ड सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर के सपोर्ट नहीं करने से डाटा नहीं निकल पाने के कारण ओपन सोर्स फोरेंसिक तकनीक द्वारा प्रकरण से संबंधित डिजीटल साक्ष्य रिकवर कर प्रकरण का डाटा उपलब्ध कराया गया।

11. **मीडिया रिपोर्टर/संवाददाता के साथ मारपीट प्रकरण में विडियों की रिकवरी :–**
थाना–लाठी, जैसलमेर द्वारा प्रकरण 101/18 धारा 341, 323, 336, 382 भादस के अन्तर्गत फर्स्ट इन्डिया न्यूज रिपोर्टर व दैनिक भास्कर संवाददाता के साथ अपराधियों द्वारा मारपीट कर उनके द्वारा कैमरे में उत्पात के विडियो कवरेज को डिलिट करने सम्बंधित प्रकरण में घटना से सम्बंधित विडियो को रिकवर कर प्रकरण में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया गया।

12. **संजीवनी क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी संबंधित घोटाला प्रकरणः–**
थाना– स्पेशल पुलिस स्टेशन (एस.ओ.जी) जयपुर द्वारा संजीवनी क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी द्वारा बड़ी संख्या में व्यक्तियों को फर्जी ऋण दर्शा कर किये गये करोड़ों रूपये के घोटाले संबंधित प्रकरण की जांच में जप्त सीपीयू की हार्ड डिस्क का डाटा उपलब्ध करवा कर प्रकरण के अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया।

जैविक एवं डी.एन.ए. प्रकरण :

1. **7 वर्षीय बालिका को आनन–फानन में दफनानें के प्रकरण में दुष्कर्म की पुष्टिः–**
   पुलिस थाना मण्डली, जिला–बाडमेर के प्रकरण संख्या 38/2020 धारा–302, 376ए, 376एबी आईपीसी व 5(एम), 5(एन)/6 पोक्सो एक्ट में 7 वर्षीय बालिका की मृत्यु खूनी दस्त व उल्टी से होना बताकर समाज के कुछ लोगों द्वारा शव को आनन–फानन में दफना दिया गया। मृतका का श्वोत्खनन करवाया जाकर वैज्ञानिक जांच हेतु प्रयोगशाला में प्राप्त प्रादर्शों का जैविक परीक्षण कर पीड़िता व मुलजिम के कपड़ों पर मानव वीर्य की उपस्थिति बताई गयी तत्पश्चात् डीएनए जांच से मृतका के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई।

2. **धार्मिक गुरू द्वारा एक गर्भवती महिला के साथ दुष्कर्म का प्रकरणः–**
   पुलिस थाना नई मण्डी हिण्डौन, जिला करौली के प्रकरण संख्या 211/2020 धारा–376 भा.द.स. में क्षेत्र के प्रख्यात व्यक्ति पर एक गर्भवती महिला से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया। प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुये प्रयोगशाला निदेशालय द्वारा प्राप्त निर्देशों की पालना में प्रकरण के प्रादर्शों की जांच सर्वोच्च प्राथमिकता पर की गयी। जैविक परीक्षण द्वारा पीड़िता व मुलजिम के संबंधित प्रादर्शों पर मानव वीर्य की उपस्थिति बताई गयी तत्पश्चात् डीएनए जांच में आरोपी द्वारा गर्भवती स्त्री के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई।

3. **10 वर्षीय मंदबुद्धि बालिका के क्षत–विक्षत शव की जांच से दुष्कर्म की पुष्टिः–**
   पुलिस थाना मनोहनपुर, जिला–जयपुर (ग्रामीण) में प्रकरण संख्या 150/2020 धारा–363, 364,376डी, बी, 302, 201, 120बी आईपीसी एवं 5/6 पोक्सो एक्ट 2012 में मनोहरपुर के जंगलों में एक 10 वर्षीय बालिका के क्षत–विक्षत शव के टुकड़े मिले। घटना से संबंधित सभी भौतिक साक्ष्य एवं चारों संभावित आरोपियों के रक्त सैम्पल तथा क्षत–विक्षत शव की जैविक पहचान हेतु संभावित पिता का रक्त सैम्पल का डी.एन.ए. जांच से क्षत–विक्षत शव की पूर्ण पहचान, मृत बालिका एवं आरोपियों के कपड़ों पर मानव वीर्य की उपस्थिति बताई। तत्पश्चात् डीएनए जांच से घटना में संभावित चारो आरोपियों की पहचान एवं दुष्कर्म की पुष्टि की गयी।

4. **अज्ञात कंकाल की पहचानः–**
   पुलिस थाना– सदर फतेहपुर, जिला–सीकर मर्ग संख्या 09/18, धारा– 174 सी.आर.पी.सी. प्रकरण में एक अज्ञात कंकाल मिलने बाबत प्रकरण दर्ज हुआ। प्रारंभिक अनुसंधान में उक्त अज्ञात कंकाल के कोई भी संभावित माता व रक्त संबंधियो का पता नहीं लग पाया। इसी दौरान देहरादून में दर्ज गुमशुदगी प्रकरण के क्रम में उक्त प्रकरण में कंकाल के डी.एन.ए. की संभावित माता व भाई के डी.एन.ए. से पूर्ण पहचान कर संवेदनशील प्रकरण के निस्तारण में योगदान दिया।

5. **पैतृकता संदिग्ध प्रकरण :–**
   पुलिस थाना– कामा, जिला– भरतपुर में प्रकरण संख्या 324/14, धारा– 467, 468, 471, 120बी आईपीसी प्रकरण में एक 45 वर्षीय महिला ने अपने आप को दो अन्य बहिनों की बहिन होने का दावा कर उनके स्वर्गीय पिता से प्राप्त सम्पति में से अपना हिस्सा लेने बाबत दावा पेश किया। तीनों महिलाओं के रक्त सैम्पलों की डीएनए की एक्स–एस.टी.आर. तकनीक का प्रयोग कर यह स्थापित किया जा सका कि सम्पति पर दावा पेश करने वाली महिला उन दोनों महिलाओं की जैविक बहन नहीं है।

विष प्रकरण :

1. **ड्रग संबंधित प्रकरणः–**
   थाना सोडाला जिला–जयपुर (दक्षिण) मुकदमा नं. 74/19 धारा 323, 327, 347, 386, 190, 34, 120बी आई.पी.सी. से प्राप्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा जब्त बिना लेबल की शीशी व निडल पर लगे पदार्थ का परीक्षण किया गया, जिसमें मसल रिलेक्सेन्ट ड्रग (सक्सिनाइलकोलीन) की उपस्थिति बताकर अनुसंधान को एक महत्वपूर्ण दिशा प्रदान की।

2. **गलत दवा देने का प्रकरणः–**
   थाना सांगानेर, जिला–जयपुर (पूर्व) मुकदमा नं. 338/19 धारा 336 प्रकरण ईलाज के दौरान डॉक्टरों द्वारा गलत दवा व इंजेक्शन देने से संबंधित था। उक्त प्रकरण के विसरा परीक्षण द्वारा एक एनेस्थेटिक ड्रग प्रोपोफोल की उपस्थिति बताकर अनुसंधान को उल्लेखनीय सहयोग दिया।

3. **स्वयं के अज्ञात इंजेक्शन लगाने का प्रकरणः—**
थाना सोडाला, जिला—जयपुर (दक्षिण) मर्ग नं. 12/19, धारा 174 सी.आर.पी.सी., प्रकरण मृतक द्वारा स्वयं को अज्ञात इंजेक्शन लगाने से संबंधित था। उक्त प्रकरण से संबंधित विसरा सैम्पल तथा अन्य प्रादर्शों में परीक्षण करने पर मोरफाईन एल्केलायड की उपस्थिति बताकर अनुसंधान में सहयोग दिया।

4. **पोक्सो एक्ट प्रकरण में कीटनाशक की उपस्थितिः—**
थाना थानागाजी जिला अलवर मुकदमा नं. 131/19 धारा 363, 366ए, 302, 376एबी आई.पी.सी. एवं पोक्सो एक्ट से संबंधित प्रकरण में प्राप्त प्रादर्श में सिन्थेटिक पाईरेथरोइड कीटनाशक की उपस्थिति बताई गई जिससे पुलिस को अनुसंधान में उल्लेखनीय दिशा प्रदान हुई।

5. **गला दबाने से संबंधित प्रकरण में जहर की उपस्थिति बतानाः—**
थाना फागी, जिला जयपुर (ग्रामीण) मुकदमा नं. 125/20 धारा 302, 201, 120बी आई.पी.सी. के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरण में मृतका के विसरा प्रादर्श तथा संदिग्ध पदार्थ भेजा गया। फर्द पंचायतनामा तथा एफ.आई.आर. के अनुसार मृतका की मृत्यु गला दबाने से होना बताया गया परन्तु भेजे गये विसरा प्रादर्शों एवं संदिग्ध पदार्थ में रासायनिक परीक्षण पश्चात जिंक फॉस्फाइड़ (चूहे मारने की दवा) की उपस्थिति बताई गयी, जिससे अनुसंधान को नयी दिशा मिली।

6. **दोहरे हत्याकाण्ड का खुलासाः—**
थाना करधनी जिला—जयपुर (पश्चिम) प्रकरण संख्या 41/2020 धारा 174 सी.आर.पी.सी. में मां एवं पुत्र के अज्ञात जहरीले पदार्थ खाने संबंधी दर्ज प्रकरण में विसरा परीक्षण में एल्यूमिनियम फॉस्फाईड विष के साथ—साथ बेन्जोडाईजिपीन ड्रग की उपस्थिति बताई गई जिससे अनुसंधान को नई दिशा प्रदान की गई।

7. **विस्थापित परिवार की मृत्यु प्रकरण में जहर एवं दवा की पुष्टिः—**
थाना— देचू, जिला— जोधपुर ग्रामीण मुकदमा संख्या 171/20, धारा 306 आई.पी.सी. प्रकरण में पाक विस्थापित हिन्दू परिवार की 11 जनों की मृत्यू की सामूहिक दुखान्तिका के अति सवेदनशील प्रकरण में मृत्यु का कारण बेहोशी की दवा खाने में मिलाने के पश्चात् इंजेक्शन द्वारा कीटनाशक दवा की पुष्टि कर अनुसंधान को महत्वपूर्ण दिशा प्रदान की गयी।

8. **बिजली के करंट से मृत्यु की पुष्टिः—**
पुलिस थाना राजीव गांधी नगर, जिला जोधपुर (पश्चिम) मर्ग संख्या 28/20 धारा 174, सी.आर.पी.सी. प्रकरण में बिजली के पोल से गिरने के प्रकरण में चमड़ी के नमूने में एल्यूमिनियम आयन्स की उपस्थिति बताई गयी जिससे मृतक की मृत्यु बिजली प्रवाहित होनें से उत्पन्न करंट लगने से स्थापित किया जा सकी।

9. **ट्रेमाडोल दवा की पुष्टिः—**
पुलिस थाना— देवनगर, जिला जोधपुर (पश्चिम) मर्ग संख्या 7/19, धारा 174 सी.आर.पी.सी. प्रकरण में बेहोशी की हालत में मिले व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु के प्रकरण में ट्रेमाडोल व एथिल एल्कोहॉल की उपस्थिति दी जाकर मृत्यु का कारण इंगित करने में मदद की।

10. **हृदयाघात प्रकरण में टायरामिन औषधि की पुष्टिः—**
पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी, जिला जोधपुर (पश्चिम) मर्ग संख्या 53/19, धारा 174 सी.आर.पी.सी. प्रकरण में 28 वर्षीय युवक की हृदयघात से मृत्यु के प्रकरण में एथिल एल्कोहॉल व टायरामिन (संवेदी तंत्रिका तंत्र से संबधित) औषधि की उपस्थिति दी जाकर मृत्यु का कारण ज्ञात करने में सहायता प्रदान की गई।

11. **पथरी के ईलाज पश्चात् मृत्यु प्रकरण में ट्रेमाड़ोल एवं किटामिन की पुष्टिः—**
थाना खाण्डाफलसा, जिला जोधपुर पूर्व मुकदमा संख्या 62/19 धारा 304ए आई.पी.सी. में जोधपुर शहर के प्राइवेट अस्पताल में पथरी के ऑपरेशन पश्चात $4^1/_2$ वर्षीय बालक की मृत्यु के संवेदनशील प्रकरण में अनुभाग द्वारा ट्रेमाड़ोल (दर्द निवारक) एवं किटामिन (निश्चेतक) औषधियों की उपस्थिति दी जाकर अनुसंधान में सहायता दी गई।

प्रलेख प्रकरण :

1. **बहुमूल्य कार (जगुआर) के फर्जी दस्तावेजों का प्रकरण:–**
   थाना सुभाष चौक, जिला जयपुर (उत्तर), जयपुर के प्रकरण संख्या 183/2018, में प्राप्त दस्तावेजों में बहुमूल्य कार (जगुआर) के फर्जी दस्तावेज बनाकर कार का रजिस्ट्रेशन बदलने के पाँच साल पुराने मामले में दस्तावेजों का परीक्षण कर कार के रजिस्ट्रेशन बदलने के दस्तावेजों के फर्जी होने के संबंध में महत्वपूर्ण राय देकर अनुसंधान को महत्वपूर्ण दिशा प्रदान की गई।

2. **फर्जी नोटों के प्रकरण:–**
   थाना करधनी, जिला जयपुर (पश्चिम), के प्रकरण संख्या 413/2020 में प्राप्त 500/– रूपये के 333 नोटो व 100/– रूपयें के 34 नोटो तथा थाना– गांधीनगर, जिला जयपुर (पूर्व), के प्रकरण संख्या 83/2020, जयपुर में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, में जमा कराये गये नोटो का परीक्षण चाहे जाने पर प्राप्त 100/– रूपयें के 841 नोटों का परीक्षण कर उनके फर्जी होने के संबंध में महत्वपूर्ण राय दी गयी।

3. **विवादग्रस्त दस्तावेज प्रकरण:–**
   थाना–नयापुरा, जिला कोटा शहर के प्रकरण संख्या 11/2020 में प्राप्त विवादग्रस्त दस्तावेज ''मुख्तारनामा आम'' में कांट–छांट कर बदली गई लिखावट के संबंध में राय चाहे जाने पर अत्याधुनिक उपकरण वीएससी–8000 की सहायता से पूर्व में लिखी लिखावट को डिसाइफर कर प्रकरण के अनुसंधान हेतु महत्वपूर्ण राय दी गयी।

4. **फर्जी दस्तावेज प्रकरण:–**
   थाना क्रिश्चयनगंज, जिला अजमेर के प्रकरण संख्या 399/2019 में प्राप्त दस्तावेजों में फर्जी दस्तावेज बनाकर सरकारी जमीन का नियमन करवाने संबंधी प्रकरण में परीक्षण कर अनुसंधान में महत्वपूर्ण दिशा प्रदान की गयी।

5. **सुसाईड परीक्षण:–**
   थाना देचु जिला जोधपुर ग्रामीण के प्रकरण संख्या 171/20 के पाक विस्थापित 11 व्यक्तियों के आत्महत्या मामलें में सुसाइड नोट लिखावट व कांटछांट का परीक्षण किया गया जो कि पुलिस जांच में उपयोगी रही।

6. **दस्तावेज में कांट–छांट प्रकरण :–**
   जिला जोधपुर ग्रामीण में पदोनति मामले में दायर परिवाद द्वारा में उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों जिसमें कि एक सहायक उप निरीक्षक पुलिस ने पदोन्नति हेतू कागजो में कांटछांट किया/करवाया, का परीक्षण कर पूर्व अंकित लिखावट व आथरसिप संबंधी राय दी गई।

7. **आत्महत्या प्रकरण:–**
   थाना जी.आर.पी. जिला जोधपुर के प्रकरण संख्या 39/20 में भेजे गये सुसाइड नोट का परीक्षण कर राय प्रदान की गई जिसमें कि मर्डर अथवा सुसाइड की पुलिस जांच में सहयोग किया गया1 पुलिस उपायुक्त जोधपूर पूर्व के मुकदमा न.203/18 शास्त्री नगर के एम्स की छात्रा के सुसाइड प्रकरण में कांटछांट का परीक्षण कर राय प्रदान की गई।

8. **जाली नोट प्रकरण :–**
   थाना कोतवाली जिला बाडमेंर के प्रकरण संख्या 275/20 में प्राप्त 500 रूपये के 1300 नोटो का अर्थात 6.50 लाख रूपये नोटो का परीक्षण कर उनके फर्जी होने के संबंध में महत्वपूर्ण राय दी गयी है।

9. **भर्ती संबंधी दस्तावेजों का परीक्षण :–**
   जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा, जोधपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये नियुक्ति/भर्ती संबंधी दस्तावेजों का परिक्षण कर महत्वपूर्ण राय दी गयी।

10. **नियुक्ति पत्रों की जांच :–**
    थाना केसरीसिंहपूर जिला श्रीगंगानगर प्रकरण सं 173/19 से प्राप्त राजकीय सेवा नियुक्ति/भर्ती संबंधी नियुक्ति पत्रो पर उपायुक्त आबकारी विभाग, जयपुर पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण के फर्जी हस्ताक्षरों की जांच की गई।

रसायन एवं आर्सन एवं एक्सप्लोजिव प्रकरण:

1. **अज्ञात रसायनों का परीक्षण :–**
   पुलिस थाना–नसीराबाद, सदर, जिला–अजमेर के प्रकरण संख्या 4/2020 धारा 407, 379,

411 आई.पी.सी. के अन्तर्गत चोरी किये गये अज्ञात रसायनो को परीक्षण हेतु भेजा गया। उक्त रसायनों का रासायनिक परीक्षण किया जाकर सोडियम ओलीफिन सल्फोनेट की पुष्टि कर अनुसंधान में सहयोग दिया।

2. **कपड़ों में नाइट्रेट आयनों की पुष्टि :–**
पुलिस थाना–करधनी, जिला–जयपुर (पश्चिम) प्रकरण संख्या 320/2020 के अन्तर्गत भेजे गये तरल पदार्थ का साथ में भेजे गये कपडों के दागों से मिलान किया जाकर दोनों में ही नाइट्रेट आईनो की पुष्टि कर अनुसंधान को महत्वपूर्ण दिशा प्रदान की।

3. **विस्फोटक लग रहे पदार्थ का सामान्य बारूद होने की पुष्टिः–**
थाना डबोक, जिला उदयपुर प्रकरण में एक यात्री से बरामद एक संदिग्ध पैकेट को एयरपोर्ट पर स्थित स्क्रीनिंग मशीन ने विस्फोटक होना बताया। प्रयोगशाला में सैम्पल के परीक्षण एवं विश्लेषण द्वारा उसको एक सामान्य बारूद पदार्थ (पोटेशियम क्लोरेट) बताकर अनुसंधान को नई दिशा प्रदान की।

नारकोटिक्स प्रकरण :

1. **एल.एस.डी. ड्रग की पुष्टिः–**
थाना जवाहर सर्किल, जिला जयपुर (पूर्व) मुकदमा न. 163/2020 धारा 8/22 एन.डी. पी.एस. एक्ट प्रकरण में संदिग्ध के पास 7 कागज के टुकड़े जप्त किये गये। जिन्हें एल.एस.डी. ड्रग बताया गया। उक्त कागज के टुकड़ो में से परीक्षण कर एल.एस.डी., जो कि हेलूसिनोजेनिक ड्रग है, की उपस्थिति की पुष्टि पहली बार प्रयोगशाला में की गई।

2. **दवाईयों की उपस्थिति की पुष्टिः–**
थाना डग, जिला झालावाड़, मुकदमा न. 9/2020 धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट एवं 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना टोडाभीम, जिला करौली मुकदमा न. 32/2020 धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट एवं थाना सांगानेर सदर, जिला जयपुर (दक्षिण) मुकदमा न. 252/2020 धारा 8/21 एन.डी. पी.एस. एक्ट प्रकरणों में एक एक पदार्थ जप्त किया गया, जिसे स्मैक पदार्थ बताया गया। उक्त प्रादर्शो का रासायनिक एवं उपकरण विश्लेषण कर उस पदार्थ को स्मैक के स्थान पर बेंजोडायाजेपाइन्स ग्रुप एवं अन्य दवाईयों का मिश्रण की उपस्थिति बताकर अनुसंधान को नई दिशा प्रदान की।

3. **नशीले पदार्थ की जगह सिट्रिक अम्ल की उपस्थिति की पुष्टिः–**
थाना विश्वकर्मा, जिला जयपुर (पश्चिम) मुकदमा न. 6/19, धारा 102 सी.आर.पी.सी. प्रकरण में सफेद पदार्थ जप्त किया गया, जिसे नशीला पदार्थ बताया गया। उक्त पदार्थ का रासायनिक एवं उपकरण विश्लेषण पर सिट्रिक अम्ल की उपस्थिति बताई गई।

4. **नशीले पदार्थ की पुष्टिः–**
थाना कोतवाली जिला जैसलमेर मुकदमा नम्बर 123/19 धारा 8/18 एन.डी. पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत संदिग्ध से दस अलग अलग आयुर्वेदिक औषधियों के पाउडर जप्त किये गये, जिनमें मोरफिन पदार्थ का होना बताया गया था। उक्त पदार्थो के माइक्रोकैमिकल व इन्स्ट्रूमेन्टल विशलेषण करने पर इनमें से एक आयुर्वेदिक औषधीय पाउडर में एन.डी.पी.एस. घटक डाइफिनोक्सिलेट तथा तीन अन्य आयुर्वेदिक औषधीय पाउडरों में सामान्य दर्द निवारक एलोपेथिक औषधि का होना बताकर अनुसंधान में सहयोग किया।

अस्त्रक्षेप प्रकरण :

1. **महिला की फायर आर्म्स द्वारा हत्या संबन्धी प्रकरण :–**
थाना मलसीसर, जिला झुन्झुनु प्रकरण संख्या 28/19 धारा 498ए 304बी 302 आई.पी.सी. एवं 3/25, 27, 5/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरण में हथियार, कारतूस खोखा, बुलट व शरीर पर स्किन पर घाव के निशान की अस्त्रक्षेप सम्बन्धी जाँच की गयी एवं प्रकरण में महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी।

2. **हत्या सम्बन्धी प्रकरण :–**
थाना– छोटी सादड़ी, जिला प्रतापगढ़ प्रकरण संख्या 114/20 धारा 302, 307, 34, 120बी आई.पी.सी. व 3/25, 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरण में पिस्टल, जिन्दा कारतूस, कारतूस खोखा, मजललोडिंग गन,

छर्रे व गन पाउडर सम्बन्धी अस्त्रक्षेपीय जाँच कर महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट दी गयी।

3. **हत्या सम्बन्धी प्रकरण :–**
थाना– विश्वकर्मा, जिला जयपुर (पश्चिम) प्रकरण संख्या 271/20 धारा 323, 341, 302, 396, 34, 120बी आई.पी.सी. व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरण में कपड़े, देशी पिस्टल, कारतूस खोखा, बुलट एवं स्वाब की अस्त्रक्षेपीय जाँच कर खोखा, बुलट आदि की मिलान सम्बन्धी रिपोर्ट दी गयी।

4. **हत्या सम्बन्धी प्रकरण :–**
थाना– आदर्श नगर, जिला जयपुर (पूर्व) प्रकरण संख्या 229/20 धारा 302 आई.पी.सी. व 3/25, 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरण में कारतूस खोखा, जिन्दा कारतूस, देशी पिस्टल, गॉज स्वाब्स, बुलट एवं कपड़ों की अस्त्रक्षेपीय जाँच कर खोखा, बुलट आदि की मिलान सम्बन्धी रिपोर्ट दी गयी।

भौतिक प्रकरणः

1. **आवाज नमूनों का कलेक्शनः–**
विशिष्ट रूप से माननीय न्यायालय के द्वारा चाहे जाने पर तथा अनुसंधान अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात राजस्थान राज्य में लगभग 27 प्रकरणों के आवाज नमूना कलेक्शन का कार्य किया गया।

2. **घटनास्थल का पुनर्निमाणः–**
थाना–नगरफोर्ट, जिला–टोंक अन्तर्गत 29.03.2019 को हुई मर्डर की घटना का पुनर्निमार्ण भौतिक खण्ड की विशेषज्ञ टीम द्वारा चार माह बाद किया गया, जिसमें अनुसंधान अधिकारी को अतिमहत्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध करवाकर जांच को नई दिशा दी।

फोटो–प्रकरणः

1. **वन्यजीवों के साथ अपराध प्रकरणों में प्राप्त फोटो का परीक्षणः–**
क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिवाना वन मंडल, बाडमेर मुकदमा संख्या–21/30 धारा–वाइल्डलाईफ प्रोटेक्शेन एक्ट 1972 प्रकरण में फोटो टेक्नीक–डार्क एरिया, एरर लेवल, इन्टरेक्टिव ऐडिशन/अल्टरेशन एवं हार्डकम्प्रेस बिन्दुओं द्वारा फोटो का परीक्षण करने उपरांत फोटो अपने मूल स्वरूप में बताकर अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया।

2. **वाट्सअप द्वारा वायरल फोटो का परीक्षणः–**
पुलिस थाना–चौथ का बरवाड़ा, जिला–सवाई माधोपुर, मुकदमा संख्या–211/19 धारा–354 डी, 506 आई.पी.सी., 11, 12 पोक्सो एक्ट 2012, 67, 67बी, आई.टी.एक्ट 2008 प्रकरण में परीक्षण हेतु पीडिता के वाट्सअप ईमेजेस परीक्षण हेतु प्राप्त पीडिता के कन्ट्रोल फोटो का वाट्सअप ईमेजेस से गहनता से फोटो फेशियल ईमेज तकनीक द्वारा परीक्षण कर वायरल फोटो पीडिता के होना बताकर अनुसंधान में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया गया।

3. **भ्रष्टाचार प्रकरण में ट्रिक फोटो का परीक्षणः–**
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक द्वारा दर्ज प्रकरण संख्या–74/15 धारा–13(1)डी, 13(2), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एंव 467, 468, 471, 120बी आई.पी.सी. में अभिमन्यु महाविद्यालय, खण्डार, जिला–सवाई माधोपुर एंव शहीद कैप्टन रिपूदमन विधि महाविद्यालय, सवाई माधोपुर में कार्यरत लेक्चरर, प्रोफेसर, इत्यादि के द्वारा मिलीभगत कर मान्यता प्राप्त करने बाबत् उनके सामूहिक फोटो परीक्षण हेतु प्राप्त हुए।
उक्त फोटो में परीक्षण करने उपरांत यह पाया गया कि दोनों विश्वविद्यालय में कार्यरत लेक्चरर, प्रोफेसर, इत्यादि जो दर्शाये गये है, वो फोटो आपस में एक ही है, किन्तु फोटो एडिटिंग कर अलग–अलग नामों से दर्शाये गये है। उक्त राय प्रदान कर अनुसंधान में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया गया।

4. **सी.सी.टी.वी. फुटेज से अपराधी की पहचानः–**
पुलिस थाना–जवाहर सर्किल, जिला–जयपुर (पूर्व), मुकदमा संख्या–1405/19 धारा–420, 120 बी आई.पी.सी. व 43, 65, 66 डी आई.टी. एक्ट प्रकरण में एस.बी.आई.एटीएम में चिप/क्लोन बनाते वक्त दो व्यक्तियों की प्राप्त सी.सी.टी.वी.फुटेज का संदिग्ध व्यक्तियों के डेमो फुटेज एंव फोटो परीक्षण में यह पाया गया कि सी.सी.टी.वी.फुटेज में वक्त घटना जो व्यक्ति दिख रहे है वह संदिग्ध व्यक्ति ही है। उक्त राय प्रदान कर अनुसंधान में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया गया।

घटनास्थल निरीक्षण : कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकरण

1. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की पालना में दो वर्ष पुरानी घटना का पुनःनिर्माण कार्य–

थाना–मण्डोर, जिला–जोधपुर, प्रकरण संख्या 155/2018, धारा 302 आई.पी.सी. अंतर्गत एन. एल.यू. जोधपुर के छात्र का शव रेलवे ट्रैक के पास मिला था। उसके मृत्यु के कारण के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की पालना में जोधपुर पुलिस द्वारा चाहे जाने पर एफएसएल जांच दिनांक 14.10.2020 को किया गया। घटनास्थल जांच हेतु निदेशक एफ.एस.एल. के नेतृत्व में संबंधित विषय विशेषज्ञों की विशेष टीम गठित की गयी। टीम द्वारा घटनास्थल के

साक्ष्यों के आधार पर दो वर्ष पुराने अपराध घटनास्थल का पुनःनिर्माण का कार्य किया गया।

घटनास्थल के पुनर्निर्माण हेतु 04 डमी (मृतक के बराबर लम्बी लगभग 5 फीट 11 इंच तथा 60 से 65 किलो वजनी) अनुसंधान अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाये गये तथा रेल्वे ईंजीनियर द्वारा एक इंजन मंगवाया गया, जिससे उपलब्ध डमी को विभिन्न स्थितियों में खड़ा कर व इंजन को रेल्वे पटरी पर चलवाया जाकर घटना के पुनर्निर्माण का अभूतपूर्व कार्य किया गया।

घटनास्थल पुनर्निर्माण के विश्लेषण से भौतिक साक्ष्यों के आधार पर आत्महत्या के साक्ष्य नहीं पाये गये। इस प्रकार राय दी गयी कि दुर्घटना की सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता तथा इस सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है, कि मृतक टकराते समय गतिमान था।

2. होटल में महिला हत्या प्रकरण का खुलासा– पुलिस थाना सांगानेर जयपुर शहर (दक्षिण) के अंतर्गत प्रकरण संख्या– 101/2020, धारा 302 आइ.पी.सी. 3–(2)(वी) एस.सी.एक्ट के क्रम में, एक महिला से युवक शारीरिक संबंध बनाकर चुन्नी से गला घोट कर फरार हो गया। मोबाईल फोरेन्सिक युनिट द्वारा अपराध घटना स्थल का निरीक्षण करने पर होटल के कमरे में बने बाथरूम के छत पर उपयोग में लिया गया निरोध पाया गया व मृतका के गले में बंधी चुन्नी से गले पर आये लिगेचर मार्क से हत्या होने का खुलासा होने में सहायता मिली।

3. यूनिक टॉवर के फ्लेट में महिला व उसके पुत्र की हत्या प्रकरण का खुलासा–

पुलिस थाना प्रतापनगर जयपुर शहर (पूर्व) के अंतर्गत प्रकरण संख्या– 26/2020, धारा 302, 392, 364 आइ.पी.सी. के क्रम में, एक महिला व उसके बच्चे का मुँह दबाकर व मुसली से वार कर निर्मम हत्या की गई। महिला के चेहरे पर चोटें व जबड़ा टूटा पाया गया व पुत्र की लाश युनिक टॉवर की बाउण्ड्रीवाल के बाहर पायी गयी जिसके सिर पर मुसली के चोटो के निशान पाये गये। मोबाईल फोरेन्सिक युनिट, द्वारा अपराध घटना स्थल का निरीक्षण करने पर हत्या के प्रकरण का खुलासा हुआ।

4. निर्माणाधीन मकान में आग लगने से चार व्यक्तियों की मृत्यु होने के प्रकरण का खुलासा–
पुलिस थाना बजाज नगर, जयपुर शहर (पूर्व) के अंतर्गत प्रकरण संख्या– 20/2020, धारा 304, 336 आइ.पी.सी. के क्रम में, निमार्णाधीन मकान में वर्कर पेन्ट–पोलीश व लकड़ी फिनिशिंग का कार्य कर रहे थे। जगह–जगह बिजली की ल्यूज वायरिंग व पोलीशींग कार्य में रासायनिक पदार्थ जैसे– थीनर, स्प्रीट, इत्यादि को काम में लेने से रासायनिक फ्यूम बनने से बिजली के ल्यूज वायरों स्पार्किंग/शार्ट सर्किट होने से आग लगने से चार लोगो की मृत्यु व परिवादी के घायल होने की घटना घटित हुयी। मोबाईल फोरेन्सिक युनिट, जयपुर शहर द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करने पर प्रकरण का खुलासा हुआ।

5. सड़ी–गली लाश पाये जाने के प्रकरण का खुलासा–

पुलिस थाना सांगानेर सदर जयपुर शहर (दक्षिण) के अंतर्गत प्रकरण संख्या– 586/2020, धारा 302, 201 आइ.पी.सी. के क्रम में, प्लास्टिक कट्टे में एक व्यक्ति की सड़ी–गली लाश सैज–2, सीतापुरा एरिया, महात्मा गांधी अस्पताल जाने वाली रोड़ के किनारे पड़ी पायी गयी, मोबाईल फोरेन्सिक युनिट, द्वारा अपराध घटना स्थल व मृतक के मकान का निरीक्षण करने पर प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर हत्या किये जाने का खुलासा हुआ।

6. अज्ञात शव का संदिग्ध हत्या होने का खुलासाः–
पुलिस थाना– आमेर, जिला जयपुर (उत्तर) के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 36/2020 धारा 302, 201 आई.पी.सी. के क्रम में एक अज्ञात महिला के शव का गहन निरीक्षण व फोटोग्राफी पश्चात् मृतका के गले पर दबाव के निशान पाये गये, जबकि सिर ओर मुँह पत्थर से पहचान छिपाने के लिये कुचला गया। घटना स्थल पर परिस्थितिजन्य साक्ष्यों व मृतका के गले पर पाये गये दबाव के निशानों से अनुसंधान अधिकारी को अवगत करवाकर प्रकरण को नई दिशा दी।

7. कूट रचित झूठी कहानी से रूपये लूटने का प्रकरणः–
पुलिस थाना– दूदू, जिला जयपुर (ग्रामीण) के अन्तर्गत मुकदमा नम्बर 68/2020 धारा 392

आई.पी.सी. के क्रम में, जयपुर रोड़ पर स्थित भारत पैट्रोल पम्प, गाडोता का कर्मचारी कलेक्शन के लगभग 10 लाख रूपये मोटर साईकिल से दिन में ले जाते समय, अज्ञात कार सवार व्यक्तियों ने कर्मचारी की आंखो में, मिर्ची पाउडर डालकर लूट होने की संदिग्ध कहानी बतायी गयी। एफ.एम.यू. जयपुर–ग्रामीण ने घटना स्थल का निरीक्षण व फोटोग्राफी किये जाने के पश्चात् घटना स्थल पर मिर्ची पाउडर फैके जाने का पेटर्न, मिर्ची पाउडर एक लाईनदार पैटर्न में पाया जाना व कर्मचारी की पेंट की जेब में मिर्ची पाउडर पाये जाने तथा बालों में मिर्ची पाउडर नही पाये जाने संबंधित साक्ष्य बताकर अनुसंधान को नई दिशा प्रदान की।

8. बहुचर्चित हत्या/आत्महत्या प्रकरण :–

पुलिस थाना– जोबनेर, जिला जयपुर (ग्रामीण) के अन्तर्गत मुकदमा नम्बर 148/2020 धारा 302, 354 आई.पी.सी. व एस.सी/एस.टी. एक्ट के क्रम में, घटना स्थल कृषि विश्वविधायल, जोबनेर के पास, नव स्थापित कार्यालय, सहायक कृषि अधिकारी के भवन के हॉल में कार्यरत महिला कर्मी ने संदिग्ध हत्या/आत्महत्या प्रकरण में, मोबाईल फोरेन्सिक यूनिट की अहम भूमिका रही। जिसमें महिला द्वारा लटककर आत्महत्या होना पाया गया। जिसमें परिस्थितिजन्य साक्ष्य टेबल पर महिला के नंगे पैरो के निशान व गले में लम्बवत लिगेचर मार्क बताये गये।

9. संदिग्ध हत्या/आत्महत्या का खुलासा:–

पुलिस थाना– करधनी, जिला जयपुर (पश्चिम) के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 662/2020 धारा 498 ए, 307 आई.पी.सी. के क्रम में, घटना स्थल में एक महिला आग से जल गई। महिला के पिताजी ने प्रकरण दर्ज कर पुत्री को जलाकर मारने की घटना बताया। मोबाईल फोरेन्सिक यूनिट द्वारा घटनास्थल निरीक्षण व फोटोग्राफी के उपरान्त परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर महिला का स्वयं जलकर आत्महत्या करना बताक अनुसंधान को नई दिशा प्रदान की।

10. बहू द्वारा सास की हत्या का प्रकरण:–

पुलिस थाना– विधाधर नगर, जिला जयपुर (पश्चिम) के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 211/2020 धारा 302 आई.पी.सी. के क्रम में एक मकान में मृतका पलंग पर लहुलुहान हालत में मृत पड़ी थी ओर उसकी पुत्रवधु ने लूट–पाट, अज्ञातो द्वारा सास की हत्या करना तथा खुद की गर्दन में रस्सी बांधकर मारने का बहाना बनाया। मोबाईल फोरेन्सिक यूनिट द्वारा गहनता से घटना स्थल निरीक्षण करने पर बहु के कपड़ो पर

ब्लड, रक्तयुक्त पॉलिथीन रसोई के पानी निकास चेम्बर में छिपाया जाना तथा पॉलिथीन में मुसली के निशान/सांचा बना हुआ पाया जाना तथा मुसली गैस सिलेण्डर के पीछे छिपी पायी जाने के साक्ष्य एकत्र कर अनुसंधान को नई दिशा प्रदान की।

11. धार्मिक गुरू द्वारा एक गर्भवती महिला के साथ दुष्कर्म :–

पुलिस थाना– नई मण्डी, जिला– करौली में प्रकरण संख्या 211/20, धारा 376 भा.द.सं. प्रकरण में एक गर्भवती महिला के साथ दुष्कर्म एवं एक अन्य महिला के साथ छेड़छाड़ संबंधी प्रकरण दर्ज हुआ, जिसमें एक समुदाय के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति पर गंभीर अपराध के आरोप लगे थे। निदेशालय एफएसएल जयपुर द्वारा प्रकरण में त्वरित कार्यवाही हेतु एफएसएल जयपुर द्वारा गठित विशेष टीम एवं मोबाईल फोरेंसिक यूनिट द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही कर अपराध से संबधित वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाकर पुलिस अनुसंधान में विशेष योगदान दिया। इस अति संवेदनशील प्रकरण में एफएसएल टीम द्वारा जुटाये साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया।

12. विस्थापित हिन्दु परिवार के ग्यारह सदस्यों की संदिग्ध मृत्यु का प्रकरणः–

पुलिस थाना–देचू, जिला जोधपुर ग्रामीण के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 171/2020, धारा 306 भा.द.सं. के क्रम में पाकिस्तान से विस्थापित एक हिन्दू परिवार के ग्यारह सदस्यों की संदिग्ध मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर मोबाईल फोरेन्सिक यूनिट द्वारा अपराध घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल पर परिस्थितिजन्य साक्ष्यों यथा – संदिग्ध कीटनाशक की बोतल, निद्राकारक दवाई का रेपर, इस्तेमाल की हुई सिरिंज व कैनुला शेष रहा खाध्य पदार्थ, सुसाइड नोट, रक्त व उल्टी संबंधी प्रादर्शों इत्यादि का उचित प्रकार से संकलन करवाया जाकर, प्रादर्शों को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर भिजवाने के निर्देश दिए गए तथा मृतको के शवों पर पाए गए संदिग्ध इंजेक्शन साईट को भी चिन्हित करके प्रकरण के खुलासे में सहायता की।

13. सीवरेज प्लांट में मिले अज्ञात शव का प्रकरणः–

थाना–बनाड, जिला जोधपुर पूर्व के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 186/2020, धारा 302, 201, 34 भा.द.सं. के क्रम में अज्ञात मानव के कटे हुए दोनों हाथ व दोनो पैर सीवरेज प्लाट में मिलने की सूचना प्राप्त होने पर मोबाईल फोरेन्सिक यूनिट द्वारा एक संदिग्ध मकान का निरीक्षण किया गया। मोबाईल फोरेन्सिक यूनिट, जोधपुर द्वारा एस.टी.एफ. सीवरेज प्लांट में मिले मानव अंगो को डीएनए हेतु संरक्षित रखवाने के साथ मकान के बाथरूम में रक्त के धब्बों को प्रथम

दृष्टया घटना के पश्चात साफ करने, फर्श पर, दरवाजे के हैंडल व कुण्डी पर, पानी के निकास के लिए लगी धात्विक जाली इत्यादि पर रक्त के धब्बे तथा धात्विक जाली पर बाल भी पाए जाने की पृष्टि कर अनुसंधान में सहयोग दिया।

14. महिला हत्या प्रकरणः—

पुलिस थाना—रामगंज मण्डी, जिला—कोटा ग्रामीण प्रकरण संख्या—186/2020 धारा—302 आई.पी.सी. प्रकरण में एक महिला की संदिग्ध मौत की सूचना प्राप्त होने पर मोबाईल फोरेंसिक यूनिट कोटा द्वारा अपराध घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल पर मिले परिस्थितिजन्य साक्ष्यों महिला के गले में मिले ताजा चोट और खरोंच के निशान मकान के अंदर बिखरे गहने एंव चूडीयों के टुकडों के आधार पर मकान के अंदर ही महिला की हत्या होना इंगित कर पुलिस अनुसंधान को सहायता प्रदान की गई।

15. महिला का बलात्कार एवं हत्या प्रकरणः—

पुलिस थाना—विज्ञान नगर, जिला—कोटा शहर प्रकरण संख्या—252/2019 धारा—376 आई.पी.सी. प्रकरण में एक महिला की लाश प्लास्टिक कट्टे में सुनसान जगह पर मिलने की सूचना प्राप्त होने पर मोबाईल फोरेंसिक यूनिट द्वारा अपराध घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल पर मिले परिस्थितिजन्य साक्ष्यों कट्टे पर मिले प्रिन्टेड होलोग्राम, बाल, मृतका के शव पर मिले वायर, तार पास की गली व निर्माणाधीन मकान में मिले रक्त, वायर, तार प्लास्टिक कट्टे व महिला के कपडों—गहनों के आधार पर महिला का रेप व हत्या निर्माणाधीन मकान में होना इंगित कर पुलिस अनुसंधान को सहायता प्रदान की गई।

16. मकान अधिग्रहण के दौरान बालिका को अन्दर डालने का प्रकरण :—

पुलिस थाना— रूपनगढ़, जिला— अजमेर के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 24/20, धारा— 336, 342 आई.पी.सी. में एक कम्पनी द्वारा एक मकान का अधिग्रहण करते समय लगभग 10—11 माह की बालिका मकान के एक कमरे मे रह जाने पर स्थानीय प्रशासन द्वारा मकान व कमरे का ताला तोड़कर बाहर निकाले जाने सम्बन्धी प्रकरण दर्ज किये जाने पर, अनुसन्धान अधिकारी द्वारा कम्पनी द्वारा मकान को सीज करने के पश्चात् पीड़ित परिवार द्वारा कमरे के रोशनदान से बालिका को कमरे में डालने की संदिग्ध वारदात होने की आशंका व्यक्त की गयी। मोबाइल फोरेन्सिक यूनिट द्वारा उक्त अतिसंवेदनशील अपराध घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, घटनास्थल पर पाए गए परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर फोरेन्सिक यूनिट द्वारा संदिग्ध कमरे में लगी एक धात्विक खिड़की तथा दो रोशनदान मे से किसी व्यक्ति के प्रवेश करने के कोई साक्ष्य नहीं पाए गए जाने की सम्भावना व्यक्त की गयी। मकान को अधिगृहित किये जाने के पश्चात् संदिग्ध कमरे में किसी व्यक्ति के द्वारा बालिका को रोशनदान खिड़की से कमरे में डालने की सम्भावना व्यक्त नही की गयी, जिससे प्रकरण के खुलासे में सहायता मिली।

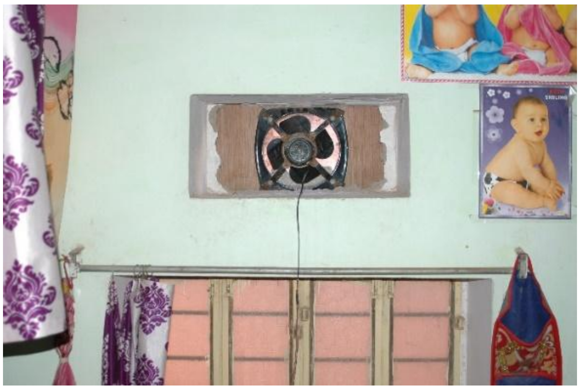

17. हत्या कर शव को अन्यत्र जलाने का प्रकरण

पुलिस थाना– गांधीनगर, जिला– अजमेर के अन्तर्गत प्रकरण एफ.आई.आर. न. 98/2019, धारा–302, 201 आई.पी.सी. में एक मकान में एक कमरे मे एक व्यक्ति की हत्या कर शव को चारागाह भूमि पर जलाने की संदिग्ध वारदात होना बताया गया। मोबाइल फोरेन्सिक यूनिट द्वारा चारागाह भूमि पर स्थित अपराध घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। अपराध घटनास्थल पर पाए गए एक संदिग्ध मानव खोपड़ी के हिस्सा को डीएनए हेतु संरक्षित करवाया गया तथा अन्य साक्ष्य इक्ठठे किये। तत्पश्चात मकान में संदिग्ध कमरे का निरीक्षण किया गया, दीवारों पर पाए गए रक्त के धब्बो को प्रथम दृष्टिया घटना के पश्चात साफ करने के साक्ष्य मिलना बताया गया। अपराध घटनास्थल पर पाए गए परिस्थितिजन्य साक्ष्यो की पहचान कर, उचित संकलन करवाए जाने से प्रकरण के खुलासे में सहायता मिली।

18. सड़क दुर्घटना से मौत होना नकारना :–

पुलिस थाना– भिनाय, जिला– अजमेर के अन्तर्गत मर्ग. न.: 18/2020, धारा–174 सी.आर.पी.सी. में एक व्यक्ति का शव व क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल संदिग्ध अवस्था में मिलने संबंधित प्रकरण में मोबाइल फोरेन्सिक यूनिट द्वारा अपराध घटनास्थल पर पाए गए परिस्थितिजन्य साक्ष्यो के आधार पर मृतक द्वारा वाहन चलाते समय सड़क दुर्घटना से मृत्यु होने की सम्भावना व्यक्त नही की गयी, जिससे प्रकरण में सही दिशा मिली।

19. हत्या कर शव को अन्यत्र जलाने का प्रकरण

पुलिस थाना– नसीराबाद सदर, जिला– अजमेर के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 355/2020, धारा–302, 201, आई.पी.सी. में एक महिला की अधजली लाश मिलने की वारदात पर मोबाइल फोरेन्सिक यूनिट द्वारा अपराध घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मृतका का ऊपरी हिस्सा (सिर से कमर तक) जला हुआ पाया गया तथा दायें हाथ पर पायल नामक टेटू पाया गया। मृतका के शव से कुछ दुरी पर एक खाली बोतल पाई गयी, जिसमे से ज्वलनशील पदार्थ जैसी गंध आ रही थी। घटनास्थल पर पाए गए परिस्थितिजनक साक्ष्यो (यथा संघर्ष के साक्ष्यो की अनुपस्थिति तथा मृतका की लोकलाईज्ड बर्निंग के साक्ष्यो की उपस्थिति) के आधार पर मृतका की हत्या अन्यत्र स्थान पर की जाकर, शव को यहाँ स्थानांतरित कर जलाने की सम्भवना व्यक्त की गयी, जिससे प्रकरण के खुलासे में सहायता मिली।

20. कार पर फायरिंग का प्रकरण :–

पुलिस थाना– चिकसाना जिला– भरतपुर मु. न. –386/2020 धारा– 307, 34 आई.पी.सी. प्रकरण में जब्त वाहन जिसका दृश्यमान रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे.05–सी.ए.–7599 था पर फायरिंग होने सम्बन्धित घटना घटित होना बताया गया। कार पर फायरिंग होने की घटना का निरीक्षण करने पर अगले बायें द्वार में गोली पाई गई तथा फायरिंग की दिशा कार के अगले दायें द्वार के शीशे से उर्ध्वाधर नीचे की ओर कार के अगले बायें द्वार की ओर होना पाया गया। उक्त दरवाजें के अन्दर के भाग को खोलने पर हिट मार्क के सामने की दरवाजे की सतह पर अन्य हिट मार्क पाया गया जो कि सम्भवतः बाहरी भाग को भेदने के पश्चात बना हुआ प्रतीत हुआ। उक्त हिट मार्क के पास एक धात्विक फॉरन मटेरियल पाया गया जो प्रथम दुष्ट्या बुलट का प्रॉजेक्टाइल प्रेक्षित हो रहा था। घटनास्थल के साक्ष्यों से प्रकरण को दिशा एवं गति मिली।

21. गोली मारकर आत्महत्या प्रकरण :–

थाना– कंचनपुर जिला–धौलपुर मु, न.– 78/2020 धारा– 147, 148, 149, 302 आई.पी. सी. प्रकरण के अन्तर्गत ग्राम धनौरा, बाड़ी में मृतक द्वारा स्वयं ही देशी कट्टे से फायर की एंव संदिग्ध घटना घटित होना बताया गया। घटनास्थल पर मिले देशी कट्टे एवं शव के हाथ का निरीक्षण करने पर ब्लड स्टेन पैटर्न (रक्त के छिटों) के आधार पर मृतक द्वारा स्वयं को गोली मार कर आत्महत्या करने की सलाह अनुसंधान अधिकारी को दी गई जिससे प्रकरण में अनुसंधन को दिशा मिली।

राज्य विधि विज्ञान निदेशालय की विभिन्न प्रयोगशालाओं एवं जिला मोबाइल फोरेंसिक यूनिट्स का पता व दूरभाष

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला राजस्थान, जयपुर	
डॉ. अजय शर्मा, निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान नेहरू नगर, जयपुर,–302016	0141–2301584, 0141–2301859 (फैक्स), 9413385400 ई–मेल: director.fsl@rajasthan.gov.in
डॉ. राखी खन्ना, उपनिदेशक (प्रशिक्षण), एफ.टी.आर.आई.	9529791877 ई–मेल: deputydirectortrg.fsl@rajasthan.gov.in
श्री राजवीर, उपनिदेशक (घटनास्थल) राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान	9413385401, 9414249466 ई–मेल: rajveer.fsl@rajasthan.gov.in
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर	
डॉ. अजय शर्मा, अतिरिक्त निदेशक क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला 8 मील चुंगी नाका, नागौर रोड, मण्डोर, जोधपुर–342304	0291–2577966, 2577259 ई–मेल: rfsl.jodhpur.fsl@rajasthan.gov.in
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उदयपुर	
डॉ. परमजीत सिंह, उप निदेशक प्रभारी अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, फोरेंसिक हाऊस, चित्रकूट नगर, बुहाना–प्रतापनगर बाईपास, उदयपुर–313001	0294–2980133 ई–मेल: rfsl.udaipur.fsl@rajasthan.gov.in
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कोटा	
डॉ. वी.वेंकटेश, सहायक निदेशक, प्रभारी अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, फोरेंसिक हाऊस, आर.ए.सी. ग्राउण्ड, रावतभाटा रोड, कोटा–324009	0744–2401644, 2400644 ई–मेल: rfsl.kota.fsl@rajasthan.gov.in
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बीकानेर	
डॉ. संजय शर्मा, उप निदेशक, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला , 10वीं आर.ए.सी बटालियन के पीछे, करणी नगर, बीकानेर–334003	0151–2941555 ई–मेल: rfsl.bikaner.fsl@rajasthan.gov.in
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर	
डॉ.आम्रपाली सिन्हा, सहायक निदेशक, प्रभारी, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जनाना हास्पिटल के सामने, सीकर रोड, अजमेर–305004	0145–2942581 ई–मेल: rfsl.ajmer.fsl@rajasthan.gov.in
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, भरतपुर	
श्री आर. के. मिश्रा, अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, 221,बापू नगर, भूरी सिंह व्यायामशाला के पास, भरतपुर–321001	9414827236 ई–मेल: rfsl.bharatpur.fsl@rajasthan.gov.in

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में वर्ष 2020 में स्थापित किये गये प्रमुख उपकरणों की सूची

S.No.	Name of Item	No.of Item	Amount cost (In Rupees)
1.	DNA Extraction Maxwell Instrument	03	11970000.00
2.	Spectral Comparator for Document Examination	01	8452500.00
3.	Comparison Microscope with computer and Image Analyser (Imported)	01	5092500.00
4.	Mobile Firing Rest	01	5035000.00
5.	Alcholizer Densitometer with Auto Sampler	01	3990000.00
6.	Snake Venom Detection Kit Viscera Extracting Unit	01	3188824.92
7.	High Performance Liquid Chromatography Instrument (HPLC)	01 Set	2779391.00
8.	Cyber Forensic High Speed Work Station	01	2530500.00
9.	Real Time Polymerase Chain Reaction Machine PCR	01	2467500.00
10.	HP-GLC	01	2439752.00
11.	Shaking Water Bath	06	2120580.00
12.	Epi Flouorescope with Digital Scientific Camera	01	1757020.00
13.	Amplification Grade Water Purification System	01	1496250.00
14.	Computer Forensic Tool Kits and accessories	01	1496250.00
15.	Laminar Flow AST	04	1496250.00
16.	Fluro meter	5	1396500.00
17.	High Speed Imaging Device	01 set	999755.00
18.	Referigerator Centrifuge	02	799575.00
19.	Micro Pipettes	05	666750.00
20.	Concentrator Plus	01	498750.00
21.	Deep Freeze	2	488250.00
22.	Compound Microscope	01	468838.00
23.	Examination report printing and Analysis System	01	439950.00
24.	Fume Hood	01	351640.00
25.	Colour Photo Copy+ Multi Function Scanner	01+02	348600.00
26.	Mini Centrifuge	06	299775.00
27.	Cyber Forensic Examination Monitoring and Display Terminal with accessories	01	189926.00
28.	Plate Centrifuge	02	161700.00
29.	Cyber forensic Lab Monitoriog System and accessories	01	149034.00

विशेष पहल एवं वर्ष 2020 की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ

1. यौन उत्पीड़न जैसे जघन्य अपराध विशेषकर पोक्सो प्रकरणों को प्राथमिकता पर परीक्षण किया गया । शून्य से 12 वर्ष तक के अबोध बालक/बालिकाओं के साथ हुये दुष्कर्म प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर परीक्षण कर रिपोर्ट 15 दिवस में उपलब्ध करायी जा रही है।

2. आर.एफ.एस.एल भरतपुर हेतु क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, भरतपुर के भवन का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।

3. निर्भया फण्ड के अंतर्गत केन्द्र सरकार से 6.28 करोड़ रूपये राशि का पूर्ण उपयोग कर मुख्य प्रयोगशाला, जयपुर के डीएनए व साईबर खण्ड का सुदृढ़ीकरण किया गया। इसके अन्तर्गत अति आधुनिक आयातित उपकरणों/ सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराकर प्रकरणों के परीक्षण में त्वरित निस्तारण की कार्यवाही की गई।

4. वर्ष 2020 में डीएनए के 1430 प्रकरणों का परीक्षण किया गया जो विगत वर्ष की तुलना में 84 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसी प्रकार साईबर अपराध के कुल 306 प्रकरणों का परीक्षण किया गया जो विगत वर्ष से 37 प्रतिशत अधिक है।

5. आई.सी.जे.एस. प्रोजेक्ट के अंतर्गत बैंगलोर एन. आई.सी के सहयोग से एफ.एस.एल. राजस्थान के लिये विकसित करा ई–फोरेन्सिक सॉफ्टवेयर पर मुख्य प्रयोगशाला जयपुर एवं सभी छहः क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं मे प्राप्त व निष्पादित प्रकरणों का डाटा अपलोड का कार्य किया जाकर पचास हजार से अधिक प्रकरणों के डाटा को ई–फोरेंसिक सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जा चुका है।

6. प्रयोगशाला में 20 वर्ष से पुराने नाकारा रिकॉर्ड तथा नाकारा उपकरणों, मशीनों एवं फर्नीचर आदि का टेण्डर प्रक्रिया द्वारा निस्तारण किया जाकर राशि को राजस्व राजकोष में जमा करवाया गया। नाकारा रिकॉर्ड एवं उपकरणों के निस्तारण से प्रयोगशाला में रिकॉर्ड संधारण एवं उपकरण आदि के लिए जगह की कमी को पूर्ण किया जा सका।

7. राज्य सरकार के निर्देशानुसार रेस्को मॉडल के अन्तर्गत एफ.एस.एल. के मुख्य भवन पर 120 किलोवाट क्षमता का रूफ टॉप सोलर प्लांट स्थापित किया जाकर ग्रीन एनर्जी उत्पादन को बढ़ावा दिया गया जिससे लगभग 1 लाख रूपये मासिक की बचत भी होगी। सोलर सिस्टम लगाने में विभाग द्वारा कोई भी लागत खर्च नही किया गया। इसके अतिरिक्त छतों पर पैनल लगने से भवन की कुलिंग आवश्यकताओं में कमी आयेगी एवं वॉल्टेज रेग्यूलेशन में भी सुधार होगा। इस प्लांट को लगाने वाली कम्पनी अगले 25 वर्षों तक 4.15 रूपये प्रति यूनिट की दर से शुल्क लेगी तथा बिना किसी लागत के 25 वर्ष तक पूरे प्लांट का रखरखाव करेगी।

भविष्य की योजना

1. क्षेत्रीय प्रयोगशाला, जोधपुर एंव अजमेर में डीएनए परीक्षण की सुविधा प्रारम्भ किया जाना है।

2. मुख्य प्रयोगशाला, जयपुर में अतिआधुनिक साईबर फोरेन्सिक खण्ड हेतु पृथक भवन निर्माण करना।

3. मुख्य प्रयोगशाला, जयपुर में 'एडवांस्ड सेन्टर फॉर साईबर फोरेंसिक्स' की स्थापना।

4. क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला कोटा में नये नारकोटिक खण्ड एवं अजमेर में नये जैविक खण्ड की स्थापना।

5. राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों के पांच दशक पुराने कैडर का पुनर्गठन किया जाना है।

निर्भया फण्ड के अंतर्गत 6.28 करोड़ रूपये राशि का पूर्ण उपयोग कर मुख्य प्रयोगशाला, जयपुर के डीएनए व साईबर खण्ड का सुदृढ़ीकरण

साईबर फोरेंसिक खण्ड की नवस्थापित अत्याधुनिक लैब का निरीक्षण करते हुए निदेशक महोदय

डी.एन.ए. खण्ड में स्थापित अत्याधुनिक उपकरण

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला,
अजमेर

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला,
बीकानेर

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला,
जोधपुर

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला,
उदयपुर

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला,
कोटा

राज्य विधि विज्ञान निदेशालय : अवस्थिति

- राज्य विधि विज्ञान मुख्यालय
- क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला
- जिला मोबाइल फोरेंसिक यूनिट

N
(Not to scale)

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला

नेहरू नगर, जयपुर–302016

वेबसाईट : www.home.rajasthan.gov.in/sfsl